Yojna IAS

योजना है तो सफलता है

yojnaias.com

मार्च 2024

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

योजना आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

04/03/2024 से 10/03/2024 तक

दिल्ली कार्यालय

706 ग्राउंड फ्लोर डॉ मुखर्जी नगर बत्रा

नोएडा कार्यालय

बेसमेन्ट सी-32 नोएडा सैक्टर-2 उत्तर

मोबाइल नं. : +91 8595390705

वेबसाइट : www.yojnaias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार बनाम दल – बदल विरोधी कानून	1 - 8
2.	भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण बनाम महिलाओं को अपनी पहचान चुनने का अधिकार	9 - 24
3.	रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं – उच्चतम न्यायालय	24 - 32
4.	गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)	32 - 39
5.	जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर प्रतिबंध बनाम राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना	39 - 44
6.	भारत में चुनावी बॉन्ड योजना और भारतीय स्टेट बैंक	44 - 48

करंट अफेयर्स
मार्च 2024

भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार बनाम दल – बदल विरोधी कानून

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

- सामान्य अध्ययन : भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था , भारत में राजनीतिक दल , दल – बदल कानून, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, भारत में 52वाँ , संविधान संशोधन, भारत में 91वाँ संविधान संशोधन, 2003

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष द्वारा 15 फरवरी, 2024 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के भीतर 2023 में पार्टी में हुए आंतरिक विभाजन के संबंध में अपना फैसला सुनाया है।
- महाराष्ट्र विधान सभा अध्यक्ष द्वारा राकांपा के किसी भी गुट के किसी भी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया गया, और अजीत पवार गुट को "असली" राकांपा के रूप में मान्यता दी गई है ।

- 2024 में देश भर में होने वाले आम चुनाव से ठीक पहले बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में चले गए हैं।
- हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई। संबंधित विधायकों को अब दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- कुछ समय पूर्व ही आंध्र प्रदेश विधानसभा में भी दल – विरोधी कानून के तहत विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था।
- हाल ही में शिव सेना पार्टी के संदर्भ में भी शिव सेना पार्टी के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में एकनाथ शिंदे गुट को ही मान्यता प्रदान किया गया था।
- भारतीय राजनीति में सुधार के लिए या भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की अत्यंत जरूरत है, क्योंकि यह भारत के संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है। भारत में होने वाली चुनावी प्रक्रिया, राजनीतिक दलों की आंतरिक और बाह्य दशा एवं दिशा, और निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का जनता के प्रति जवाबदेही में सुधार करने से एक सुदृढ़ और न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की जा सकती है। **अतः भारत में दल – बदल कानून के तहत भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार के कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है –**

भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में वर्तमान में सुधार की जरूरत :

- भारत में राजनीतिक दलों को लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध करना चाहिए।
- चुनाव आयोग को अधिक सक्रिय रूप से चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देनी चाहिए और उसे और भी अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए।
- नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत : राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। दलों को सदस्यों के चयन में बदलाव करना और युवा, महिला, और आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को शामिल करना चाहिए।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना : भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ताकि वे देश की समृद्धि, सुरक्षा, और विकास की दिशा में काम कर

सकें।

- मूलभूत नैतिकता का उत्थान : भारत में राजनीतिक दलों को आपस में विरोधाभासी रूप से नहीं, बल्कि उन्हें भारत में आपस में मूलभूत नैतिकता और सद्भावना के आधार पर कार्य करने की जरूरत है। उन्हें भारत में राजनीतिक नीतियों को जनता भलाइयों के लिए करना चाहिए।

भारत में वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत :

- भारत में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना : भारत में चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। निर्भीक और स्वतंत्र मीडिया के समर्थन को बढ़ाना चाहिए।
- चुनावों में होने वाली खर्चों के लिए फंडिंग व्यवस्था को बदलने की जरूरत : भारत में चुनावों में होने वाली खर्चों के लिए चुनावी बांडों के माध्यम से राजनीतिक दलों को फंडिंग करने की जगह सार्वजनिक फंडिंग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को जनता से सीधे रूप में चुनाव में खर्च होने वाली धन को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

चुनाव में यांत्रिकता या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत :

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को बढ़ावा देना :

- भारत में चुनाव के दौरान चुनावी बूथों में लोगों की भौतिक कतारों को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत में चुनावी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित और आपातकालीन परिस्थितियों में कार्य करने के लिए एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का और भी सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए तकनीकी सुधार करने की जरूरत है।
- भारत में चुनाव बूथों की सुरक्षा में और भी सख्ती बढ़ानी चाहिए ताकि चुनाव – प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न हो।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव प्रणाली में सुधार :

विभिन्न सामाजिक समूहों की जनसंख्या के आधार पर चयन :

विभिन्न सामाजिक समूहों की जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि समाज में सभी वर्गों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके।

महिलाओं और युवा के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना :

- समृद्धि के आधार पर महिलाओं और युवा को सजग करने के लिए प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना चाहिए।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से 50 प्रतिशत सीटें होनी चाहिए।

जनता को राजनीतिक शिक्षा और राजनीतिक से जागरूकता बढ़ाने की जरूरत :

भारत में जनता को राजनीतिक प्रक्रियाओं, उम्मीदवारों की चुनावी योजनाओं,और राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में जागरूक करने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए।

राजनीतिक शिक्षा को समर्थन देने की जरूरत :

भारत में विद्यालय और महाविद्यालयों स्तर पर लोगों में राजनीतिक शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए ताकि भारत में होने वाले चुनावों में भारतीय युवा सकारात्मक रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग ले सकें।

निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना :

- भारत में चुनावों में निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को जनता के साथ अधिक संपर्क बनाए रखने के लिए तर्कसंगत माध्यमों का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहिए।
- निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की सार्वजनिक सेवा देने के परिणामस्वरूप, उन्हें समय-समय पर जनता के सामने जनसभाओं और स्कूलों में प्रस्तुत करना चाहिए।

भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार केवल राजनीतिक दलों के सहयोग से नहीं हो सकते, बल्कि समाज के सभी वर्गों की सहभागिता के साथ ही संभव हैं। अतः चुनाव में और चुनावी प्रक्रिया में जनता को जागरूक करना और उन्हें सकारात्मक रूप से चुनावी प्रक्रिया में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में दल-बदल विरोधी कानून :

- भारत में दल – बदल विरोधी कानून के तहत, सदन के सदस्यों (संसद सदस्य और राज्य विधानमंडल सदस्य) द्वारा बार – बार दल – बदल पर अंकुश लगाने के लिए निर्मित किया गया है। इसका उद्देश्य दल – बदल की घटनाओं को रोकना और देश या राज्य में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना है।
- दल-बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि चुने गए सदस्यों को विशेष रूप से अपने दल बदलने या विरोध में मतदान करने से रोका जाए और राजनीतिक स्थिति को स्थिर रखा जाए।
- दल-बदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) ने संसदीय सदस्यों को दल बदलने पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया है। भारत में दल – बदल विरोधी कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं –

भारत में दल – बदल विरोधी कानून एवं इसकी शुरुआत :

भारत में दल-बदल विरोधी कानून, भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल है और इसे सन 1985 में भारत के संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था ।

सदन के सदस्यों को निरर्हित करने का प्रावधान :

भारत में सदन का कोई सदस्य यदि अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ता है, तो उसे सदन की सदस्यता से निरर्हित किया जा सकता है, और उसे उस सदन (संसद की सदस्यता से और राज्य विधानमंडल की सदस्यता) से बाहर किया जा सकता है।

सदन में मतदान में शामिल नहीं होने पर या स्वेच्छा से अपनी सदस्यता को छोड़ने पर :

- भारत में यदि कोई संसद सदस्य या राज्य के विधानमंडल का सदस्य अपने मूल राजनीतिक दल के निर्देश के खिलाफ सदन में मतदान करता है या मतदान करने से बचता है, तो उसे भी उसकी सदस्यता से निरर्हित किया जा सकता है।
- भारत में यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी सदस्यता को छोड़ने के लिए आधार बना सकता है, और निरर्हिता के लिए किसी सांसद या विधायक को अपने दल से त्याग-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
- भारत में किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित सदस्य को सदन से निरर्हित या अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, जब वह स्वेच्छा से दल बदलता है या अपने दल के निर्देश के खिलाफ मतदान करता है।

सदन के किसी सदस्य द्वारा अंपने राजनीतिक दल से अन्य दल में शामिल होने पर :

- भारत में यदि सदस्य अपने मूल दल के बजाय किसी अन्य दल में शामिल होता है, तो उसकी सदस्यता पर निरर्हता के लिए विशेष प्रावधान है।
- सदस्यता से निर्वाचित सदस्य को सदन से निरर्हित या अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, जब वह स्वेच्छा से दल बदलता है या अपने दल के निर्देश के खिलाफ मतदान करता है।

किसी राजनीतिक दल का अपने दल से दूसरे दल में विलय होने को मान्यता प्रदान करना :

भारत में अगर कोई सदन का सदस्य विलय होने के लिए प्रस्तुति पेश करता है और उसके मूल दल के कम से कम

दो – तिहाई सदस्य उसके इस कार्य सहमत होते हैं, तो उसे निरर्हित किया जा सकता है ।

निरर्हता में छूट और अपवाद :

- भारत में दल – बदल कानून के तहत उस सदस्य को निरर्हित नहीं ठहराया जाता है अगर उस सदस्य का अपने मूल दल में विलय होता है और मूल दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य इस विलय के लिए सहमत होते हैं।
- भारत में वर्ष 2003 में हुए संविधान संशोधन ने एक तिहाई सदस्यों के एक अलग समूह बना लेने पर अयो-ग्यता से छूट को निरस्त किया गया है।
- भारत में दल – बदल कानून के तहत निरर्हता का अपवाद या छूट तब भी लागू हो सकता है अगर उस सदस्य ने विलय को स्वीकार नहीं किया है और एक अलग समूह के रूप में कार्य करने का विकल्प चुना है, तो उसे सदन की सदस्यता से निरर्हित नहीं किया जा सकता है।
- भारत में दल – बदल कानूनों के कुछ अपवादों और छूटों के तहत, उस सदस्य को सदस्य निरर्हित नहीं किया जाता है अगर उसके मूल दल का किसी अन्य दल में विलय होता है और उसमें उसकी सहमति होती है।

गठबंधन सरकार के सदस्यों की निरर्हितता :

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में गठबंधन सरकार के सदस्यों को स्वतंत्र (निर्दलीय) विधायक के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल होने का अधिकार दिया है।
- इसके अलावा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामलों में स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि सदन का कोई सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ने और दल बदलने का प्रमाण अपनी स्वेच्छा से देता है या प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा ऐसा करने पर उसकी सदन की सदस्यता निरर्हितता का आधार बन सकता है।

भारत में इन प्रावधानों के माध्यम से, दल-बदल की घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है, जिससे

किसी भी निर्वाचित सरकारों को गिराने या भंग करने से रोका गया है और भारत के राजनीतिक दलों के अंदर स्थिरता बनी रहती है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत में राजनीतिक प्रणाली एक महत्वपूर्ण और जीवन्त घटक है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और संगठन अपने दृष्टिकोण और उद्देश्यों के साथ सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हालांकि, इस प्रणाली में कई सम-स्याएं भी हैं , जिससे अक्सर इसमें विवाद उत्पन्न होते रहते , जिनमें से एक भारत में दल-बदल विरोधी कानून का मुद्दा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- भारत में राजनीतिक प्रणाली में सुधार बनाम दल-बदल विरोधी कानून के मुद्दे पर सभी प्रमुख पक्षों के आधार पर समाधान निकालने की जरूरत है। इसमें भारत के सभी प्रमुख दलों की भागीदारी के साथ, सुधारों को अमल करने के मार्ग के रूप में देखा जा सकता है, ताकि आम जनता का भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्तिकरण हो सके।
- भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार भारतीय राजनीतिक दलों को देश और आम जनता के प्रति समर्पण , नैतिकता और सार्वजनिक हित में आदर्श बनाए रखने के एक साधन के रूप में कार्य कर सकता है और भारत में एक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत राजनीतिक प्रणाली की दिशा में कदम बढ़ा सकता है।
- सुधारवादियों का कहना है कि यह बदलाव राजनीतिक दलों को अधिक उदार और जन-हित में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें दलों को लोकतंत्र में और विशेषकर नागरिकों के साथ संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसमें यह भी समाहित किया जाता है कि राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों को समर्पित रखने और उनके अधिकारों का समर्थन करने की जिम्मेदारी बढ़ेगी ।
- इस तरह के सुधार का विरोध करने वालों की मुख्य आपत्ति यह है कि ऐसा कानून सत्ता में रहने वाली सरकार को और अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है और जिससे वह विपक्ष को दबा सकता है, जिससे लोकतंत्र की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। उनका मानना है कि सरकार को अपने ही हितों को बढ़ावा देने का भी खतरा है और यह विपक्ष को निष्क्रिय कर सकता है।
- विरोधी कानून के पक्षपाती या नकारात्मकता के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को दुरुस्त करने की बजाय उन्हें अनियमितता में डाल सकता है और सत्ता के खिलाफ किए जा रहे अभिव्यक्तिकरण को दबा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, स्वतंत्रता और विविधता के मामले में संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- इस बहस में, सामाजिक समृद्धि, लोकतंत्र और सरकारी नीतियों के माध्यम से जनहित में सुधार करने की जरूरत है। सरकार और विपक्ष को मिलकर एक बेहतर दल- बदल वातावरण बनाए रखने के लिए संयम और जागरूकता की आवश्यकता है। एक सामाजिक समृद्धि की दृष्टि से, यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्गों को समाहित करें और सभी के हित में काम करें।
- इसका समाधान सरकार, विपक्ष, और समाज के सभी तरफ से सही समर्थन और सहयोग के साथ हो सकता है, ताकि यह सुधार सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिति को मजबूती दे सके और लोगों को विश्वास दिला सके कि उनके हित में काम हो रहा है।
- भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के माध्यम से राजनीतिक दलों को अपने कार्यों को और निर्णयों को लेकर आम जनता के प्रति अधिक

जवाबदेह बनाया जा सकता है, जिससे जनता का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ सकता है। इसके अलावा, इस तरह केर सुधारों से राजनीतिक दलों की साकारात्मकता बढ़ेगी और वे जनता के लिए सशक्त एवं सहायक बन सकते हैं।

- आखिरकार, इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा एवं सुनवाई करना महत्वपूर्ण है ताकि एक समर्थनपूर्ण और सांविदानिक समाधान निकला जा सके, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार हो सके और सभी विचारों को समाहित किया जा सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में दल – बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ।

1. यह भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में है ।
2. इसे भारत के संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था।
3. भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने गठबंधन सरकार के सदस्यों को स्वतंत्र (निर्दलीय) विधायक के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल होने का अधिकार दिया है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 3

(C) इनमें से कोई नहीं

(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार की दिशा में आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में दल – बदल कानून एवं राजनीतिक दल प्रणाली में सुधार की क्या प्रासंगिकता है ? तर्कसंगत व्याख्या कीजिए।

Yojna IAS
yojnaias.com

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण बनाम महिलाओं को अपनी पहचान चुनने का अधिकार

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, भारत में लैंगिक समानता, महिलाओं की श्रम संबंधी भागीदारी, श्रमशक्ति आवधिक आँकड़ा (अक्टूबर – दिसंबर 2023), महिलाओं को अपनी पहचान चुनने का अधिकार।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में सुश्री दिव्या मोदी टोंग्या ने अपनी खुद की पहचान चुनने का अधिकार पाने के लिए एक याचिका दायर की थी कि उन्हें अपने विवाह से पूर्व वाला नाम उपयोग करने की इजाजत दी जाए।
- सुश्री दिव्या मोदी टोंग्या को सरकार द्वारा जारी किए गए एक अधिसूचना के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी खुद की पहचान पाने के लिए यह याचिका दायर करनी पड़ी।
- सरकार द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार भारत में यदि कोई विवाहित महिला अपने तलाक के बाद यदि वह अपने शादी से पूर्व वाला नाम उपयोग करना चाहती है तो उसे अपने तलाक के कागजात पर अपने पूर्व के पति से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना पड़ता है।
- सुश्री मोदी टोंग्या के द्वारा दायर अपनी याचिका में,उनका कहना कि सरकार द्वारा जारी यह अधिसूचना 'भारत में लैंगिक पहचान की दृष्टि से महिलाओं के प्रति पक्षपातपूर्ण है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।
- सुश्री मोदी टोंग्या के द्वारा दायर अपनी याचिका में यह भी कहना कि अपने पूर्व के पति से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) पेश करना भारत में उन महिलाओं के लिए एक असंवैधानिक और गैरजरूरी प्रतिबंध है जिसमें कोई भी महिला अपने स्वयं का नाम चुनने या अपना उपनाम / सरनेम बदलने के लिए अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करना चाहती हैं।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मई को अगली सुनवाई तक सुश्री मोदी टोंग्या के द्वारा दायर याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
- सुश्री मोदी टोंग्या के द्वारा दायर अपनी याचिका में, यह भी कहना कि भारत में जिन महिलाओं ने शादी के बाद अपने पति का उपनाम नहीं अपनाती है, उन महिलाओं को भारत में बैंक खाता खोलने, या स्कूल में बच्चे के दाखिले, या अपने किए पासपोर्ट के लिए आवेदन इत्यादि करने के समय समय अनेक गैरजरूरी प्रश्नों और अनेक कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है।
- भारत में, आज भी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर लैंगिक असमानताएं हैं। भारत में महिलाएं आज भी अपने घर में अवैतनिक काम करती हैं और अक्सर उन्हें विभिन्न वजहों से श्रम बल से बाहर कर दिया जाता है।
- भारत जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले देश में कोई लड़की या महिला क्या कर सकती है और क्या नहीं, यह

अक्सर घर के पुरुषों द्वारा तय किया जाता है।

- भारत में महिलाएं भी कभी परंपरा के नाम पर तो कभी सामाजिक व्यवस्था के नाम पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा और अपमान को चुपचाप स्वीकार कर लेती हैं। यदि कोई महिला इसका विरोध भी करती है तो उसे समाज ' कुलटा, कुलबोरनी, मर्दाना औरत' के विशेष उपनामों से उसे पुकारा जाता है और उसे सामाजिक स्तर पर अपमानित किया जाता है।
- **श्रमशक्ति में महिलाओं की श्रम संबंधी भागीदारी– श्रमशक्ति के ताजा आवधिक आंकड़ों (अक्टूबर-दिसंबर 2023) के अनुसार, भारत में सभी उम्र की महिलाओं की भागीदारी महज 19.9 फीसदी ही है।**
- संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अभी दुनिया में सबसे बड़ी मानवाधिकार संबंधी चुनौती लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना है।
- संयुक्त राष्ट्र के जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट 2023 लैंगिक समानता के संदर्भ में बताता है कि लैंगिक समानता की दृष्टिकोण से अगर सुधार के उपाय नहीं किए गए, तो महिलाओं की अगली पीढ़ियां भी पुरुषों के मुकाबले घरेलू कामों और कर्तव्यों पर अनुपात से ज्यादा समय खर्च करती रहेंगी और नेतृत्वकारी भूमिकाओं से दूर रहेंगी।
- **सामान्य लैंगिक अंतर (Overall Gender Gap) : जेंडर गैप रिपोर्ट, 2023 के अनुसार – लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है।**
- भारत में महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी समर्थन के बाद भी भारत जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले देश में सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के बिना लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण दोनों ही लगभग असंभव है।

भारत में महिला सशक्तिकरण :

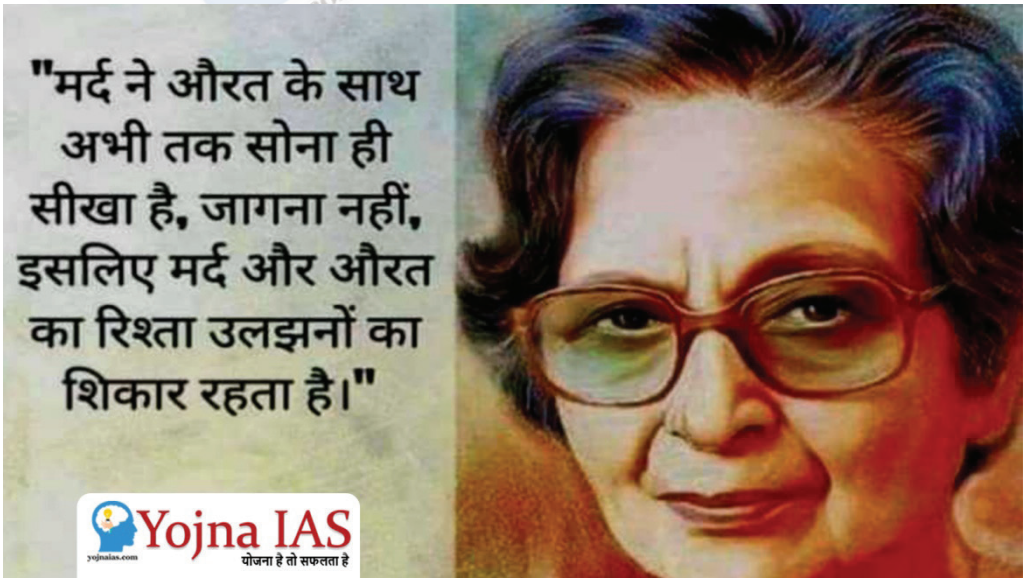

तन के भूगोल से परे
एक स्त्री के

मन की गाँठें खोलकर
कभी पढ़ा है तुमने
उसके भीतर का खौलता इतिहास?
X X X X
अगर नहीं!
तो फिर जानते क्या हो तुम
रसोई और बिस्तर के गणित से परे
एक स्त्री के बारे में..?

——— — नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द, निर्मला पुतुल (भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन)

भारत में सभी धर्म में भी महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय और निम्न मानना :

- भारत जैसे पितृसत्तात्मक देश में शिक्षा, मीडिया, कानूनी संस्थाएँ, आर्थिक संस्थाएँ, राजनीतिक संस्थाएँ सभी में पितृसत्तात्मक व्यवस्था हैं। भारत के सभी धर्म में भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था हैं। अधिकांश धर्म महिला को अपना मुख्य आराध्य नहीं मानते। चूंकि धर्मों में पितृसत्ता को सर्वोच्च दिखाया गया है इसलिए महिलाओं को हमेशा से धर्म के नाम बराबरी करने का मौका ही नहीं दिया जाता है, और महिलाएँ बिना बराबरी का अधिकार माँगे अपने पति को परमेश्वर, स्वामी मानने लगती हैं। वह इस बात पर ज़रा भी विचार नहीं करतीं कि पति-पत्नी में अगर एक मालिक है तो दूसरा कौन होगा? वह आसानी से अपने आपको गुलाम मान लेती हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार में ही पारंभिक अवस्था में स्त्री – पुरुष के बीच के अंतर को समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समझया जाता है।
- **प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक " सिमोन – द – बुवुआर" की प्रसिद्ध पुस्तक ' द सेकेण्ड सेक्स " के अनुसार – " स्त्री पैदा नहीं होती। स्त्री बनाई जाती है। समाज में पैदा तो नर और मादा होते हैं । परिवार और समाज द्वारा स्त्री को बचपन से स्त्रीत्व के गुणों के विकास के लिए एक खास प्रकार का अभ्यास करवाया जाता है। फलतः भारत के बाहर अन्य विकासशील देशों में भी लैंगिक असमानताएं और महिला सशक्तिकरण में एक खास प्रकार का अंतर विद्यमान है।"**

लैंगिक समानता का अर्थ :

- लैंगिक समानता का अर्थ है कि महिलाएँ और पुरुषों को या बालक और बालिकाओं को समान अधिकार, जिम्मेदारियाँ और सामान अवसर प्राप्त हों। यह सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा भर ही नहीं है, बल्कि यह एक मानवाधिकार भी है जो सभी व्यक्तियों को समानता के माध्यम से समृद्धि और सम्मान की भावना के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) के अनुसार – लैंगिक समानता का मतलब यह नहीं है कि महिलाएँ और पुरुष समान हों, बल्कि इसका मतलब है कि उन्हें समान अधिकार, स्वतंत्रता, और अवसर मिले जो उनकी क्षमताओं और चयन के आधार पर होना चाहिए। इसका उद्देश्य लैंगिक भेदभाव, स्त्रियों के विरुद्ध होने वाली हिंसा, और अन्य लैंगिक समस्याओं के खिलाफ सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और समाज में समानता की भावना को स्थापित करना है।
- इसमें यह भी शामिल है कि लैंगिक समानता का पूरा होना एक सुशिक्षित और सुशासनयुक्त समाज के लिए आवश्यक है, जहां सभी व्यक्तियों को उनकी इच्छा और क्षमता के आधार पर समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। इससे समाज में सामंजस्य और समृद्धि होती है जो समृद्धि और प्रगति की दिशा में सहायक होती है। लैंगिक समानता न केवल एक आदर्श बल्कि एक समृद्धि और समृद्धिवादी समाज की आधारशिला भी है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ :

- महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त बनाना है। इस प्रक्रिया का मकसद महिलाओं को उनके जीवन में सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान करना है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख घटक :

महिला सशक्तिकरण के मुख्य पाँच घटक निम्नलिखित हैं –

1. **आत्म-सम्मान :** महिलाओं में आत्म-सम्मान की भावना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे वे अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानती हैं और समाज में समानता का अधिकार को जानकर , अपने अधिकारों के प्रति सजग रहती हैं।

2. **विकल्प चुनने और निर्णय लेने का अधिकार :** महिलाओं को अपने जीवन में स्वतंत्रता से विकल्प चुनने और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वह घर में हों या घर के बाहर के कार्यस्थल ही क्यों न हो, महिलाओं को अपने जीवन में हर जगह और हर स्थिति में स्वतंत्रता से विकल्प चुनने और निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

3. **अवसर और संसाधनों तक पहुँच::** महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, और अन्य संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं को सही तरीके से विकसित कर सकें।

4. **महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण का अधिकार :** महिलाओं को अपने जीवन के निर्णयों में सकारात्मक रूप से शामिल होना चाहिए, चाहे वह घर के अंदर हों या घर के बाहर महिलाओं को अपने जीवन में हर जगह और हर स्थिति में स्वतंत्रता से अपने जीवन पर नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए।

5. **राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तन में भाग लेने की क्षमता :** महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में न्यायपूर्ण परिवर्तन के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाने और उनमें भाग लेने की क्षमता प्रदान होमी चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के तीन मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं –

1. **सामाजिक-सांस्कृतिक सशक्तिकरण :** महिलाओं को अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने और सामाजिक बदलाव में भाग लेने की क्षमता प्रदान करना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है।
2. **आर्थिक सशक्तिकरण :** महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने और उन्हें आर्थिक विकास में सक्रिय भाग लेने की क्षमता प्रदान करना महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है।
3. **राजनीतिक सशक्तिकरण :** महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, नीतियों में सहभागिता बढ़ाने, और प्रतिनिधित्व में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को समझाना भी महिला सशक्तिकरण का प्रमुख आयाम है।

यह सभी आयाम साथ मिलकर महिलाओं को समर्थ, स्वतंत्र, और इंसानी रूप में समान बनाने की प्रक्रिया को संकेत करते हैं।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध :

- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के बीच संबंध गहरे और पारस्परिक संबंध हैं और इन दोनों के परस्पर संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। लैंगिक समानता को प्राप्त करने के लिए, महिलाओं को समाज में समान अधिकार, अवसर, और सामान स्थिति मिलना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह भी है कि महिलाएं अपने जीवन में नियंत्रण रखें, अपनी राय व्यक्त करें, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थ हों।
- भारतीय समाज में, प्राचीन-मध्यकाल से ही महिलाओं को देवियों की पूजा का सौभाग्य मिलता रहा है, लेकिन समय के साथ महिलाओं को समाज में उच्च स्थान पर पहुँचने में कई रुकावटें आईं। इसके बावजूद, भारतीय इतिहास में कई शक्तिशाली महिला नेताएं और राजनेत्रियाँ भी उभरीं हैं, जो न केवल अपने क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान दी हैं बल्कि समाज को भी बदलने का कारण बनीं हैं।
- भारत में, प्राचीन-मध्यकाल से लेकर स्वतंत्रता-पूर्व काल तक, महिलाओं को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक उपाधियों के माध्यम से पूजा गया है, लेकिन समाज में उन्हें पूर्णत: समानता नहीं मिली। स्त्री हितैषी आंदोलन, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जैसे कई सुधारों के माध्यम से समाज में बदलाव आया।
- सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन (19वीं शताब्दी) ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम

उठाए। सती प्रथा के खिलाफ धार्मिक सुधार, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और बाल विवाह निरोधक अधिनियम जैसे कानूनों के प्रदर्शन से सामाजिक बदलाव हुआ और महिलाओं को अधिक अधिकार मिले।

- स्वतंत्रता-पूर्व भारत में, सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने महिला सशक्तिकरण के मामले में सकारात्मक परिवर्तन किए। साथ ही, महिला संगठनें भी लैंगिक समानता की मुद्दे पर अपनी आवाज उठाईं और समाज में जागरूकता फैलाई।
- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी ने महिलाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए अग्रणी भूमिका दी। उन्होंने महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपने अधिकारों की मांग करने के लिए साहसिक बनाया। गांधीजी के नेतृत्व में हुए स्वतंत्रता संग्राम में भी महिलाएं अपने योगदान से सजग रहीं और उन्हें समाज में बड़ा हिस्सा बनने का मौका मिला।
- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय महिला परिषद, भारतीय महिला संघ, और अन्य महिला संगठनें भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष कर रहीं हैं। इन संगठनों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया है।
- इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का संघर्ष एक साथ चल रहा है और यह समाज में समानता और न्याय की दिशा में प्रगति कर रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए समाज को सकारात्मक रूप से सहयोग करना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।
- वर्तमान समय में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के प्रति समर्थन तेजी से बढ़ रहा है और समाज में सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, और सामाजिक सद्भावना में सुधार के माध्यम से हम सभी को मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ने का समर्थन करना आवश्यक है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शांति काल में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। यह मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ था –

स्वतंत्रता के बाद अधिकांश महिला कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण कार्यों में शामिल हो गईं: स्वतंत्रता के बाद, अनेक

महिलाएं सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय हो गईं और राजनीति, शिक्षा, और अन्य क्षेत्रों में भूमिका निभाने लगीं।

- **भारत के विभाजन के आघात ने महिलाओं के तत्कालीन मुद्दों से ध्यान हटा दिया:** भारत के पारंपरिक समाज में विभाजन के कारण, महिलाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया था। स्वतंत्रता के बाद, यह स्थिति बदली और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा होने लगी।
- **1970 दशक के पश्चात् भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता आंदोलन का नवीनीकरण हुआ।**
- भारतीय महिला आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में प्रसिद्ध, प्रमुख महिला संगठनों ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत हुई। जैसे –
- **स्व-रोज़गार महिला संघ (SEWA) :** इस संगठन ने असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कार्य किया और उन्हें स्व-रोज़गार के लिए समर्थन प्रदान किया।
- **अन्नपूर्णा महिला मंडल (AMM) :** इस संगठन ने महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए कार्य किया और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों में समर्थन प्रदान किया।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां :

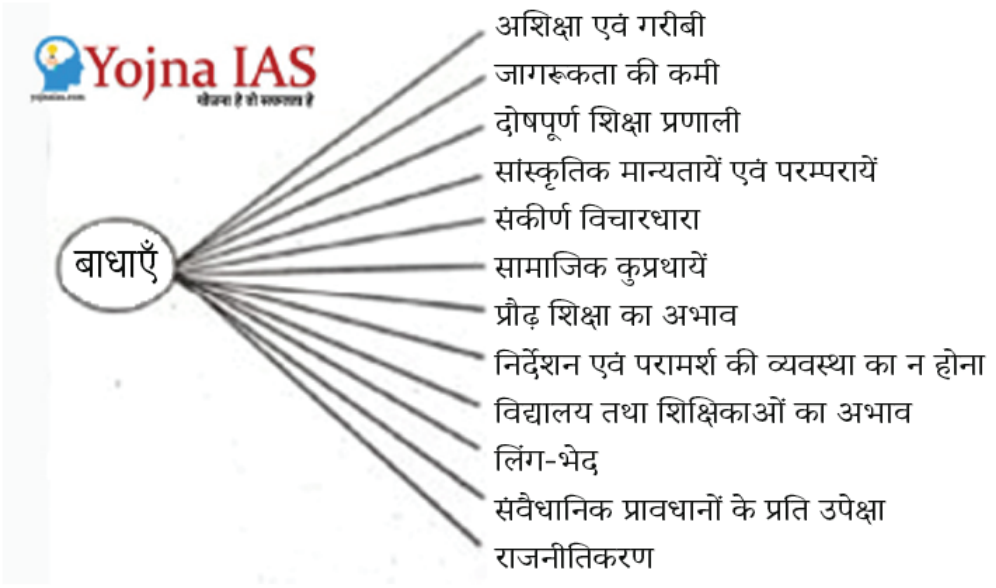

- हाल ही में, सरकार ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शरूआत की हैं। हालांकि कुछ सुधार हुआ है, लेकिन भारत में महिलाओं को समान अवसर मिलने में अभी भी कई चुनौतियां हैं और उनके साथ भेदभाव जारी है।
- सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अनेक नए पहलों की शुरुआत की हैं, जैसे कि उद्यमिता समर्थन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और समाज में प्रतिष्ठा दिलाना।

- इन प्रयासों का उद्देश्य है महिलाओं को समाज में समानता, स्वतंत्रता, और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना। हालांकि यह समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सकारात्मक प्रयास और बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति एक जटिल मिश्रण है जिसमें समृद्धि और चुनौतियां दोनों शामिल हैं। यहां कुछ मुख्य पहलुओं को देखा जा सकता है:

1. **लैंगिक असमानता :** भारत में पुरानी सांस्कृतिक धाराओं और जाति व्यवस्था के कारण, लैंगिक असमानता की समस्याएं आज भी मौजूद हैं। लिंगानुपात, मातृ मृत्यु दर, और शिक्षा में असमानता इसके प्रमुख प्रमाण हैं।

2. **सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता :** भारतीय समाज की समाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों के फलस्वरूप महिलाएं अक्सर विभिन्न अवसरों से वंचित रहती हैं। बाल विवाह और असमान पुरुषाधिकार भी इसके उदाहरण हैं।

3. **आर्थिक विषमता :** महिलाओं का वेतन अंतर, अनौपचारिक रोजगार, और उच्चतम पदों में कम प्रतिनिधित्व इसे बढ़ाते हैं।

4. **राजनीतिक असमानता :** सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। संसद और राज्य विधानसभाएं में महिला सदस्यों की कमी इसे चुनौती देती है।

5. **लैंगिक आधारित हिंसा :** महिलाओं के खिलाफ लैंगिक आधारित हिंसा की सामान्यता इसे एक गंभीर समस्या बनाती है।

6. **शिक्षा :** किसी भी समाज की उन्नति और एक बेहतर भविष्य के लिए सबसे अच्छा और महत्पूर्ण उपाय शिक्षा है, लेकिन इसमें भी कई क्षेत्रों में महिलाओं को अभी तक समानता का अवसर नहीं मिल पाया है। इन समस्याओं का सामना करते हुए, समाज में साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार, और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए समर्थ बनाने के लिए नीतियों और कदमों की जरूरत है। लोगों को लैंगिक समानता और आपसी समरसता की प्रोत्साहना करनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सके।

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का महत्त्व :

- महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को प्राप्त करना एक समृद्धि और समानतामूलक समाज बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका समग्र महत्त्व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक परिवर्तनों में है।

सामाजिक न्याय :

- लैंगिक समानता को स्वीकृति देने से समाज में न्याय की भावना बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण से उन्हें समाज में उचित स्थिति मिलती है और समाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है।

राष्ट्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना :

- महिलाओं का सकारात्मक योगदान राष्ट्र की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम समाज के सभी सदस्यों को समाहित बनाना चाहते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है।

सामाजिक – सांस्कृतिक महत्व :

- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण एक शांतिपूर्ण और समतामूलक समाज निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इससे महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में कमी आती है और समाज में समरसता बनी रहती है।

आर्थिक महत्त्व :

- महिलाओं को समान अधिकार और अवसर देने से आर्थिक समृद्धि में भी सुधार होता है। वे सक्षम होती हैं और अपने परिवार और समाज के लिए योगदान करती हैं, जिससे राष्ट्र को भी लाभ होता है।

राजनीतिक महत्त्व :

- महिलाओं का समर्थन करना और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में बढ़ावा देना राजनीतिक प्रक्रिया में बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। महिला सांसदों और महिता नेत्रियों के माध्यम से समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है।
- लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण समृद्धि, सामरस्य, और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।इस प्रकार, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्त्व है, जो समृद्धि, सामंजस्य, और समाज में न्याय की स्थापना में मदद करता है।

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रावधान हैं। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है –

1. **मूल अधिकार (Article 14) :** सभी नागरिकों को सामान्य विधि के तहत समानता और संरक्षण का अधिकार है, जिसमें महिलाओं को भी समाहित किया गया है।
2. **मूल अधिकार (Article 15) :** इस अधिकार के तहत महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध है, जिससे लैंगिक भेदभाव को रोका जाता है।
3. **मूल अधिकार (Article 16) :** इस अधिकार के तहत भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रोजगार और नौकरी में समानता का अधिकार है, जिससे महिलाओं को भी समाहित किया गया है।
4. **मूल अधिकार (Article 21) :** इस अधिकार के तहत भारत के प्रत्य्रक नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार में, महिलाओं को शालीनता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है।
5. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 39) :** राज्य नीति के निदेशक तत्त्व के तहत भारत के प्रत्येक नागरिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है, जिससे महिलाओं को भी समाहित किया जाता है।
6. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 42) :** इसके तहत भारत के नागरिक के रूप में महिलाओं को कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों के लिए मातृत्व राहत और अवकाश का प्रावधान है, जिससे महिलाओं को

समाहित किया गया है।

7. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 44) :** इसके तहत समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, जिससे विवाह, तलाक, विरासत आदि में महिलाओं को समान अधिकार मिलते हैं।

8. **राज्य नीति के निदेशक तत्त्व (Article 45) :** भारत के संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 45 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है, जिससे बालिकाओं को भी समाहित किया गया है।

9. **मौलिक कर्तव्य (Article 51A) :** भारत के नागरिकों को प्रदत मौलिक अधिकार के तहत हर नागरिक को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने का मौलिक कर्तव्य है।

10. **मौलिक कर्तव्य (Article 51A) :** इसके तहत भारत के प्रत्येक माता-पिता/अभिभावक को अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य है।

11. **नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) 2023 :** महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षित सीटों का प्रावधान शामिल है।

इन प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान ने महिला सशक्तिकरण और समानता की प्रोत्साहन प्रदान की है , जिससे भारतीय समाज में लैंगिक भेदभाव को कम करने का प्रयास किया गया है।

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान :

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं, जो समाज में महिलाओं को सुरक्षित रखने और भारत के नागरिक होने के तौर पर उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं –

महिलाओं का सामाजिक – सांस्कृतिक सशक्तिकरण :

भारतीय दंड संहिता (IPC) : इसमें महिलाओं के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, और एसिड हमले सहित अपराधों का संज्ञान लेता है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की सुनिश्चित करता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 : इस अधिनियम से घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा आदेश और निवास अधिकार प्राप्त होता है, जिससे उन्हें सुरक्षित रहने में मदद मिलती है।

दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 : इसके तहत दहेज लेने और देने को प्रतिबंधित किया गया है और इसके उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान है।

सती (निवारण) आयोग अधिनियम, 1987 : इसके अंतर्गत सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, जिससे यह प्रथा निषेधित है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 : इससे बाल विवाह को रोकने के लिए बालिकाओं के लिए न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष कर दी गई है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :

- **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 :** इस अधिनियम से सभी श्रमिकों, जिनमें महिलाएँ भी शामिल हैं, के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है।
- **समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 :** इससे कार्यस्थल में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह लिंग के आधार पर मजदूरी और वेतन में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
- **मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 :** इस अधिनियम से कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य लाभ प्रदान किया जाता है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 :** इससे कार्यस्थलों में यौन उत्पीड़न को रोकने और निवारण के लिए एक प्रणाली बनाई गई है जो महिलाओं को सुरक्षित और समर्थन मिलने में मदद करती है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण :

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 : इससे महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया गया है।

परिसीमन आयोग अधिनियम, 2002 : इससे निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करते समय महिला मतदाताओं की संख्या का विचार करने का आदेश दिया गया है, जिससे महिलाओं की चुनावी क्षमता में वृद्धि होती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए सरकारी योजनाएँ :

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के क्षेत्र में कई योजनाओं की शुरूआत की है, जो महिलाओं को समाज में सक्रिय और स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य रखती हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को समान अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।

1. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति :** इस नीति का उद्देश्य महिलाओं के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्थिति को मजबूती से बनाए रखना शामिल है।
2. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (NMEW) :** यह मिशन महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य।
3. **लैंगिक बजट :** यह बजट महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है, जिससे समाज में इन्हें बराबरी मिले।

4. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना (BBBP) :** इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की जनसंख्या में सुधार करना और उन्हें शिक्षित बनाना है।

5. **प्रधानमंत्री स्वस्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) :** इस योजना से महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं, जो उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करती हैं।

6. **स्टैंड अप इंडिया योजना :** इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को ऋण प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

7. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) :** इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करती है।

8. **महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम :** इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को राजनीतिक भूमिका में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे समाज में अधिक से अधिक भूमिका निभा सकें।

इन योजनाओं के माध्यम से सरकार भारतीय महिलाओं को समाज में सशक्तिकरण के लिए एक साकारात्मक माहौल प्रदान करने का प्रयास कर रही है। ये कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को साथ लेकर समृद्धि और समानता की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद कर रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए चुनौतियाँ :

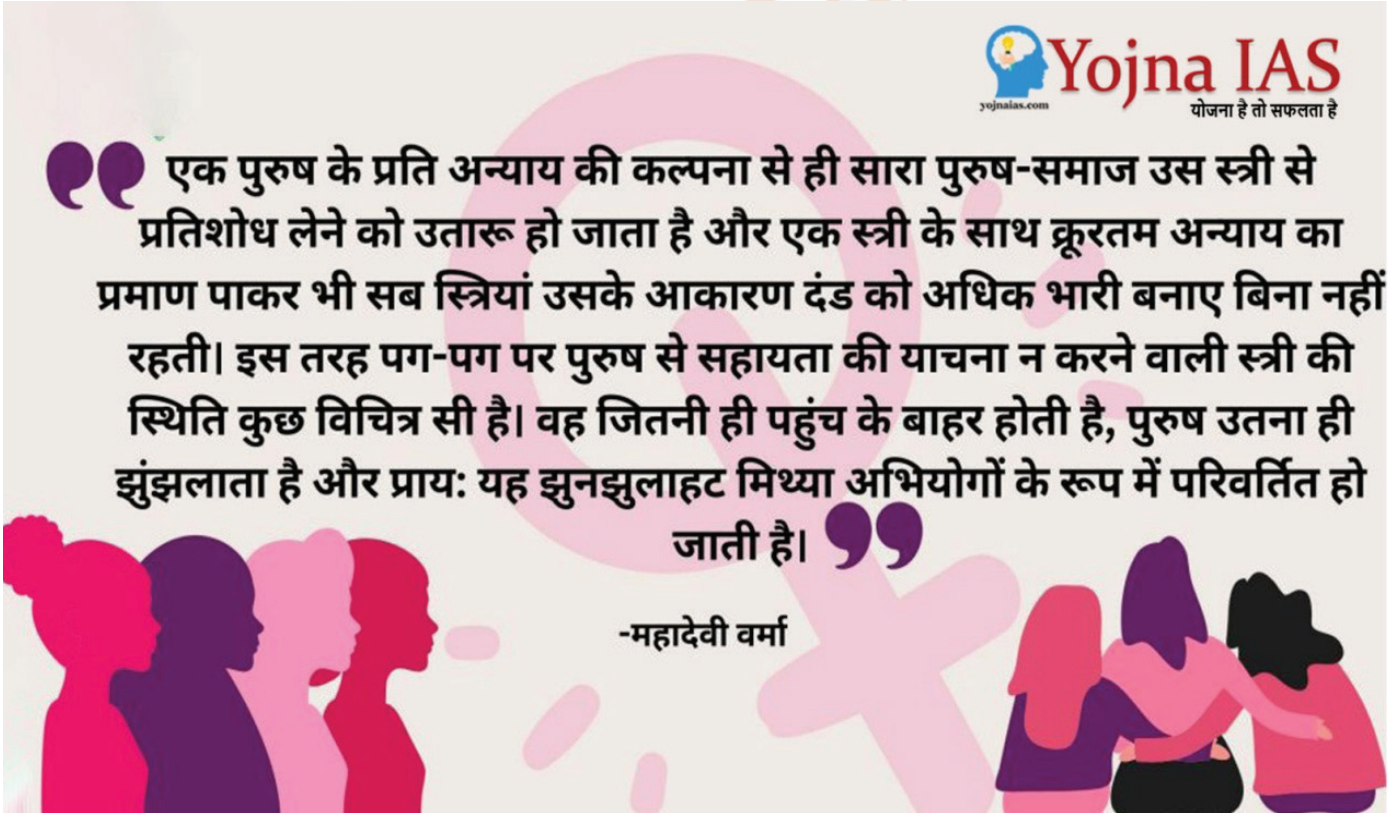

भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तमाम सरकारी प्रयासों के भी बावजूद, कई चुनौतियाँ हैं जो इस प्रयास में रुकावटें डालती हैं।

महिलाओं के समक्ष विद्यमान सामाजिक चुनौतियाँ :

- **भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंड:** ऐतिहासिक कारणों से भारत में लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक मानदंडों में भेदभाव है, जिससे महिलाएं समाज में बराबरी के अधिकारों की ओर बढ़ती हैं।
- **महिलाओं की भूमिका का रूढ़ीवादी चित्रण :** भारतीय समाज में रूढ़ीवादी सोच ने महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों में ही रूचिकर बनाया है, जिससे उन्हें बाहरी क्षेत्रों में आगे बढ़ने में कठिनाई हो रही है।
- **महिलाओं का कम साक्षरता दर :** भारत के कई राज्यों और कई क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर अभी भी बहुत ही कम है, जिसका सीधा असर उनके समाजिक और आर्थिक स्थिति पर हो रहा है।

महिलाओं के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियाँ :

- **रोजगार के कम अवसर :** महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में अधिक मौके नहीं मिलते, और जब मिलते हैं, तो उन्हें अधिकतर असुरक्षित और कम वेतन वाले क्षेत्रों में रखा जाता है।
- **ग्लास सीलिंग :** महिलाओं को सीधे और सबसे ऊपर के पदों तक पहुँचने में कठिनाई होती है, जिसे "ग्लास सीलिंग" कहा जाता है। यह उन्हें प्रमोशन और अच्छे पदों तक पहुँचने में बाधित करता है।
- **आर्थिक असमानताएँ :** भारत में अधिकतर महिलाएं आर्थिक असमानता का सामना कर रही हैं, जो उन्हें स्वतंत्र और समर्थ बनने में रोक रहा है।

महिलाओं के समक्ष विद्यमान राजनीतिक चुनौतियाँ :

- **कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व :** भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिसका परिणाम है कि उनकी आवाज को सार्वजनिक निर्णय में कम ही होती है।
- **मुखिया पति या सरपंच पति' संस्कृति :** भारत के कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर महिलाओं को नाममात्र का ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है, और यह भी उनके पति या पुरुष रिश्तेदारों के पास ही रहते हैं।

महिलाओं के समक्ष अन्य चुनौतियाँ :

कानूनों का अपर्याप्त कार्यान्वयन :

भारत में कानूनों का अधिकारिक और सकारात्मक कार्यान्वयन होना चाहिए ताकि महिलाएं अपने अधिकारों का सही से उपयोग कर सकें।

वैश्वीकरण के फलस्वरूप उभरती चुनौतियाँ :

भारत में वैश्वीकरण के फलस्वरूप और शहरीकरण के साथ, महिलाओं को नई चुनौतियाँ भी मिल रही हैं, जिनमें उन्हें पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन की जरूरत है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, समाज को सामूहिक रूप से सहयोग करना और महिलाओं को उच्च शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर, और समर्थन के लिए सुनिश्चित करना होगा।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

महिला सशक्तिकरण और भारत में लैंगिक समानता के लिए सुझाए गए कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित है –

महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण :

सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन :

सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के लिए सामाजिक जागरूकता का विस्तार करना और समाज में लैंगिक समानता की महत्वपूर्णता को समझाना।

महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करना :

महिलाओं को समाज में समानता के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना :

कानूनी उपाय महिलाओं की सुरक्षा के लिए कठिन कानूनी कार्रवाई करना और कानूनों को सशक्त बनाए रखना।

- **सामाजिक परिवर्तन :** सामाजिक बदलाव के माध्यम से लोगों को लैंगिक समानता की महत्वपूर्णता समझाना और इसे समर्थन करने के लिए सामूहिक आंदोलनों को प्रोत्साहित करना।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण :

- **महिलाओं में कौशल विकास करना :** महिलाओं को आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सक्षम हो सकें।
- **ऋण तक पहुँच :** महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए साकारात्मक ऋण की सुविधा प्रदान करना और उन्हें व्यापार में भाग लेने के लिए सक्षम करना।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण :

1. **राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देना :** महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं में प्रमोट करना।
2. **महिलाओं में नेतृत्व का विकास करना :** महिलाओं को नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करना ताकि वे समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा सकें।
3. भारत में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता की दिशा में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हम समृद्धि और समाज की सभी वर्गों के साथ एक समरस, समानित और सांघरिष्ठ समाज की दिशा में अग्र-सर हो सकें।
4. महिला कर्मचारियों के विवाह और उनकी घरेलू भागीदारी को पात्रता न रखने का आधार बनाने वाले नियमों के असंवैधानिक होने संबंधी अदालत की राय को सभी संगठनों को सुनना चाहिए ताकि कार्यस्थल महिलाओं के लिए बाधक बनने के बजाय उन्हें समर्थ बनाने वाले बन सकें।
5. भारत में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और अवसरों की राह में आनेवाली बाधाओं को तोड़ना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

1. भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
2. श्रमशक्ति केआवधिक आंकड़ों (अक्टूबर-दिसंबर 2023) के अनुसार, भारत में श्रम बल में सभी उम्र की महिलाओं की भागीदारी महज 19.9 फीसदी है।
3. लैंगिक समानता के संदर्भ में लैंगिक अंतर रिपोर्ट, 2023 में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है।
4. मूल अधिकार के अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव पर प्रतिबंध है, जिससे लैंगिक भेदभाव को रोका जाता है।
5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 महिलाओं के लैंगिक पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव का निषेध करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) इनमें से कोई नहीं।

(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं ? चर्चा कीजिए कि भारत में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की राह में क्या चुनौतियाँ है और इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं – उच्चतम न्यायालय

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , संसदीय विशेषाधिकार, जन – प्रतिनिधित्व कानून, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपराध, उच्चतम न्यायालय , संवैधानिक पीठ, नोट के बदले वोट।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 4 फरवरी, 2024 को भारत की संसद या राज्य की विधानमंडल में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अपना फैसला दिया है कि देश की संसद या राज्यों के विधानमंडल में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेना सदन के विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ में निम्नलिखित न्यायाधीश शामिल थे – (1) जस्टिस एएस बोपन्ना (2) जस्टिस एमएम सुंदरेश (3) जस्टिस पीएस नरसिम्हा (4) जस्टिस जेबी पारदीवाला (5) जस्टिस संजय कुमार (6) जस्टिस मनोज मिश्रा।

वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि :

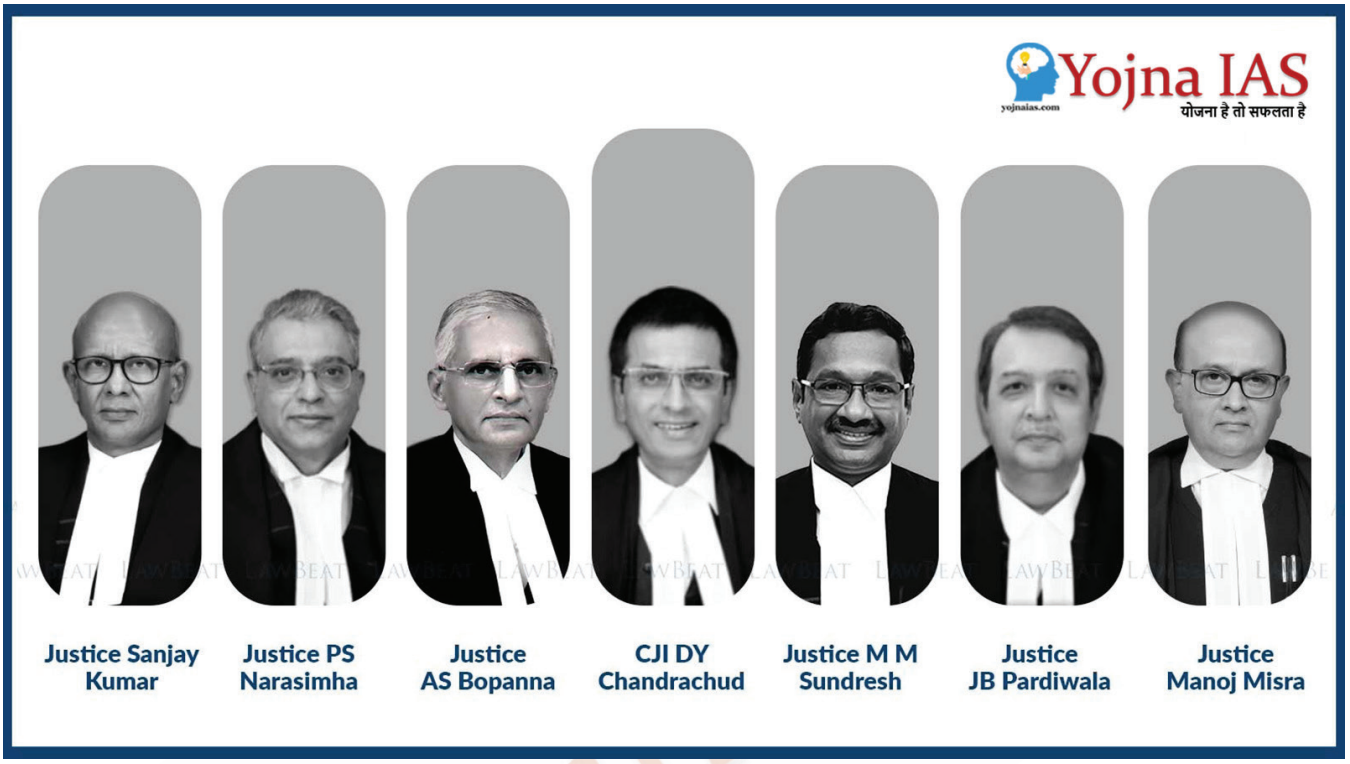

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय में झारखंड की विधायक सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक थी उस पर एक कथित रिश्वत लेने के आरोप के मामले की सुनवाई चल रही थी ।
- झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक सीता सोरेन पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सन 2012 में भारत के उच्च सदन अर्थात भारत के राज्यसभा के लिए होने वाले चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में अपना मतदान करने के लिए उन्होंने उस निर्दलीय उम्मीदवार से रिश्वत ली थी।
- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा ही वर्ष 1998 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में दिए गए निर्णय को इस मामले का आधार बनाया गया था ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले पर वर्ष 2019 में सुनवाई किया था ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई, जस्टिस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ द्वारा उस मामले में दिए गए निर्णय की तरह ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक सीता सोरेन पर लगाए गए आरोप के मामले में भी निर्णय बिल्कुल भारत के उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन निर्णय की तरह का है । अतः भारत के उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन निर्णय यहां भी लागू होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक सीता सोरेन को भी जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों के तहत निर्दोष करार घोषित किया जायेगा, लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले में भारत के उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय को पलटते हुए कहा कि – **" नोट के बदले वोट देना या रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकार नहीं है।"**

भारत में संसदीय विशेषाधिकार के मामले में संवैधानिक प्रावधान :

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के अनुसार- भारत में यदि संसद का कोई भी सदस्य संसद या उसकी किसी समिति में अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में भारत के किसी भी न्यायालय में उन पर किसी भी कार्यवाही नहीं होगी तथा इसके साथ – ही – साथ वह उक्त कार्य के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा।
- भारत की संसद में सदन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत और जन प्रतिनिधि कानून के तहत भारतीय संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अर्थात सांसद या विधायक सदन के अन्दर किसी भी प्रकाशन, रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के संबंध में भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह के कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194(2) भी भारत के किसी भी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को इसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है।

भारत के उच्चतम न्यायालय का वर्तमान निर्णय :

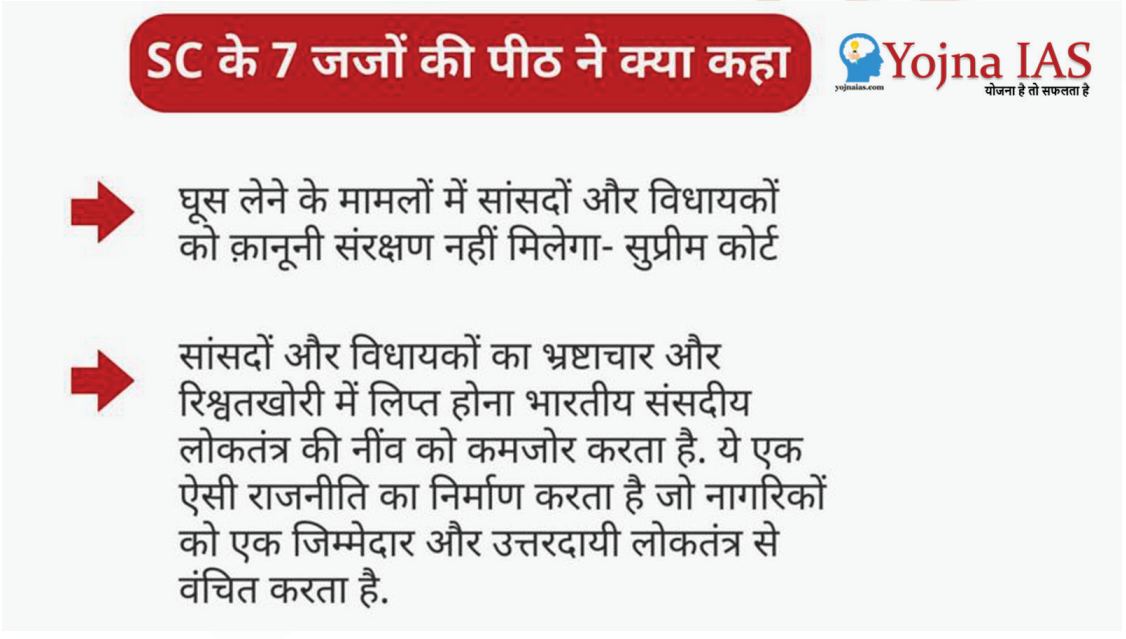

- भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने नरसिम्हा राव मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए पूर्व के फ़ैसले को सिरे से ख़ारिज कर दिया।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की वर्तमान संवैधानिक पीठ ने कहा कि – **“ भारत में कोई भी अकेला विधायक या सांसद इस तरह के विशेषाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है।”**
- भारत में जन प्रतिनिधियों को प्रदान किए जाने वाला विशेषाधिकार भारत में उस सदन को सामूहिक रूप से दिया जाता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने ही एक पूर्व निर्णय जिसका संबंध नरसिम्हा राव के मामले से है , में

दिया गया फ़ैसला संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194(2) का विरोधाभासी है।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 (2) और 194 (2) के तहत जन- प्रतिनिधियों को संसद और विधानसभाओं के अंदर कुछ करने और कहने के लिए दी गई छूट सदन की सामूहिक कार्य प्रणाली से संबंधित होता है , न कि वह व्यक्तिगत होता है ।
- भारत में यदि कोई भी जन-प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का रिश्वत लेता है, उसी समय उसके विरुद्ध मामला बन जाता है।
- अतः झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की विधायक सीता सोरेन के इस मामले में यह मायने नहीं रखता कि उसने सदन में बाद में सवाल पूछा था या की भाषण दिया की नहीं दिया था।
- भारत में यदि कोई भी सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में अपना भाषण देता हैं या अपना मतदान करता हैं, तो उन पर भारत में न्यायालय में आपराधिक मामला चलाया जा सकता है।
- भारत में सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने के मामलों में क़ानूनी संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

भारत में वर्तमान में जन प्रतिनिधियों को प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों की कानूनी व्याख्या :

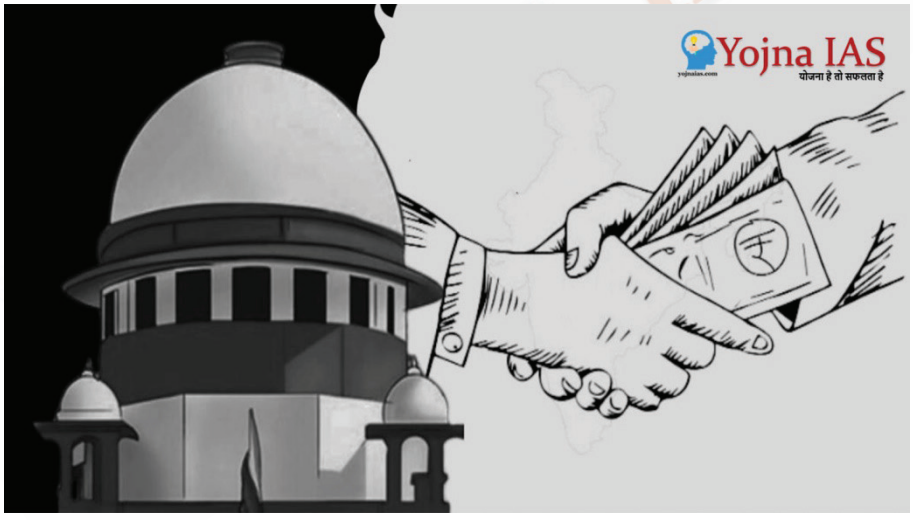

- भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के इतिहास पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत में ये अधिकार औपनिवेशिक काल के दौरान भी एक क़ानून से अलग थे, भारत की स्वतंत्रता के बाद यह अधिकार एक संवैधानिक विशेषाधिकार में बदल गया था।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद और राजा के बीच संघर्ष के बाद संसदीय विशेषाधिकारों की शुरुआत हुई थी ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार- संसदीय विशेषाधिकार के मुख्य रूप से दो घटक हैं;
- एक विशेषाधिकार का प्रयोग सदन सामूहिक रूप से करता है। इसमें शामिल हैं – अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, तथा अपने स्वयं के मामलों का संचालन करने की शक्ति, आदि।
- दूसरा विशेषाधिकार व्यक्तिगत अधिकारों के लिए है। इसमें शामिल हैं – प्रत्येक सदस्य द्वारा बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार।

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने जन प्रतिनिधियों को प्रदान किए जाने वाले विशेषाधिकारों की व्याख्या भारत के संविधान के बड़े आदर्शों के अनुरूप किया है ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा, इसके लिए एक परीक्षण (Test) पास करना होगा।
- सरकार के अनुसार, 'आवश्यकता परीक्षण' (necessity test) के कारण सांसद या विधायक अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकेंगे।
- यह उनके भाषण देने की स्वतंत्रता के अधिकार के विपरीत है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी की परिकल्पना करता है।
- विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है।
- यह संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी है।
- यह एक ऐसी राजनीति की ओर बढ़ रही है जो भारत में जन प्रतिनिधियों द्वारा भारत के नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधित्ववादी लोकतंत्र से वंचित करता है।
- भारत के जन प्रतिनिधियों को एक कानून निर्माता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए रिश्वत लेने को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 :

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत में होने वाले आम चुनाव के संचालन के प्रावधानों से संबंधित है।
- इस अधिनियम में भ्रष्टाचार और चुनाव से संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों से है।
- इस अधिनियम में चुनाव से जुड़े मामलों में विवादों से संबंधित निवारण के प्रावधानों को शामिल किया गया है।
- इस अधिनियम में सांसदों और विधायकों की योग्यता के साथ- साथ अयोग्यता के प्रावधानों की भी विस्तृत व्याख्या शामिल है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित चुनावों से संबंधित अपराध की परिभाषा :

1. जन -प्रतिनिधि या उम्मीदवार द्वारा नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देना अपराध की श्रेणी में आता है।
2. जन -प्रतिनिधि या उम्मीदवार द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का उल्लंघन करना और किसी भी उम्मीदवार को समर्थन प्रदान करना भी इस श्रेणी में आता है।
3. जन -प्रतिनिधि या उम्मीदवार बूथ कैप्चरिंग करना या मतपत्र को लूटना या हटाना या अन्य प्रकार का छेड़छाड़ करना अपराध की श्रेणी में आता है।
4. उम्मीदवार या जन -प्रतिनिधि द्वारा मतदान समाप्ति के 2 दिन पूर्व तक शराब की बिक्री में संलग्न होना अपराध की श्रेणी में आता है।

5. उम्मीदवार या जन -प्रतिनिधि द्वारा मतदान से 48 घंटे पहले सार्वजनिक बैठकों की घोषणा करना और अशांति भी पैदा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है।

पीवी नरसिम्हा राव मामले की पृष्ठभूमि :

- भारत में वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।
- पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। नरसिम्हा राव की सरकार के सामने कई चुनौतियां थीं; सबसे बड़ा चुनौती आर्थिक संकट था। उनकी सरकार ने वर्ष 1991 में ऐतिहासिक आर्थिक सुधार किया और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ। इसी समय राजनीतिक स्तर पर राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी।

संसद में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का मुख्य कारण :

- 26 जुलाई, 1993 के मानसून सत्र में CPI(M) के अजॉय मुखोपाध्याय ने नरसिम्हा राव सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था ।
- **अजॉय मुखोपाध्याय द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के संदर्भ में निम्नलिखित कारणों को जिम्मेवार बताया गया था –**

    1. IMF और विश्व बैंक के सामने समर्पण कर जन-विरोधी आर्थिक नीतियों को लाने से बेरोज़गारी और मंहगाई बढ़ रही है।
    2. इससे भारतीय उद्योग और किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
    3. रकार द्वारा सांप्रदायिक ताकतों के प्रति समझौतावादी रवैये अपनाने के कारण अयोध्या की घटना हुई।
    4. सरकार संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता की भावना को बचाने में असफल हो रही है।
    5. बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा नहीं देने में तत्कालीन सरकार असफल साबित हुई थी।

- भारत में तत्कालीन लोकसभा में 528 सीटें थीं और कांग्रेस के पास 251 सीटें थीं। अतः पीवी नरसिम्हा राव

को सरकार बचाने के लिए 13 और सीटों की ज़रूरत थी। अतः 28 जुलाई, 1993 को उस अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग हुई, और उस अविश्वास प्रस्ताव में 14 वोटों से सरकार गिर गया। उस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 251 और इसके विरोध में 265 वोट पड़े थे। इस वोटिंग के तीन साल बाद उस रिश्वत कांड का मामला सामने आया। राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सदस्य रवींद्र कुमार ने 1 फरवरी, 1996 को CBI के पास शिकायत की। इस शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि जुलाई, 1993 में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ राजनीतिक दलों के सांसदों को रिश्वत देकर बहुमत साबित करने की साज़िश रची थी। CBI ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कुछ सांसदों पर मुकदमा दर्ज किया था।

भारत के उच्चतम न्यायालय का पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में दिया गया निर्णय :

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने CBI की जांच के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिया कि;- झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के लिए रिश्वत लिया था। फलतः उनके और कुछ अन्य सांसदों के मतदान के कारण ही पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बच पाई थी ।
- भारत में वर्ष 1998 में 3-2 के बहुमत से पांच जजों की पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया था
- इस फैसले के अनुसार – **" जन-प्रतिनिधियों को संसद और विधानमंडल में अपने भाषण तथा वोटों के लिए रिश्वत लेने के मामले में आपराधिक मुक़दमे से छूट होगी। ये उनका विशेषाधिकार है। सदन में किए गए किसी भी कार्य के लिए उन पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है।"**

निष्कर्ष / समाधान :

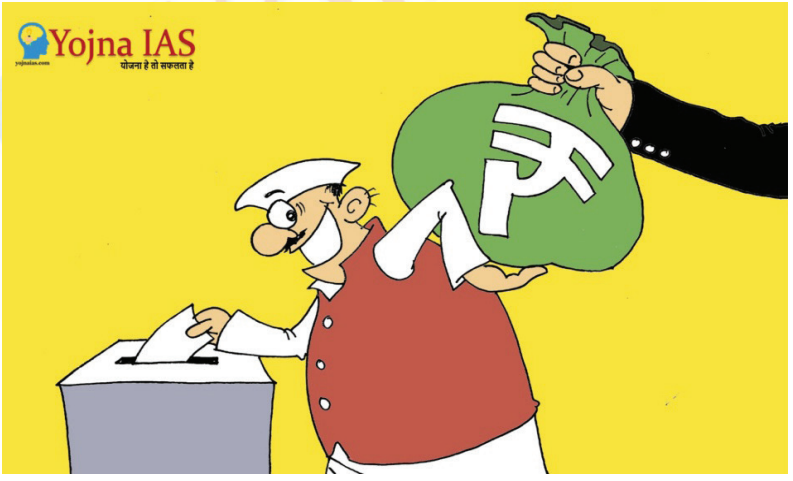

- वर्तमान निर्णय के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पीठ को यह भी देखना था कि क्या किसी सांसद या विधायक को उस समय किसी भी प्रकार की छूट दी जा सकती है, जब सांसद या विधायक रिश्वत तो लेता है, लेकिन वोट अपने विवेक या अपनी राजनीतिक पार्टी के अनुसार देता है न कि रिश्वत देने वाले के अनुरोध के अनुसार।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का विश्लेषण किया, जिसका संबंध **' लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध '** से है।
- भारत में जन प्रतिनिधियों के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक निश्चित तरीके से

कार्य करने या कार्य करने से रोकने के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करना, स्वीकार करना या प्रयास करना , जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए अपराध के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि जिस कार्य के लिए रिश्वत लिया या दिया गया है, वह वास्तव में किया ही गया हो।

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिश्वत लेना एक अपराध है और यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि लोक सेवक ने अलग तरीके से काम किया है या नहीं।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि – **"यदि इस वर्ग को असाधारण सुरक्षा प्रदान की जाती है तो लोक सेवकों का एक ' नाजायज वर्ग ' बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।"**
- भारत में संसद के पास अपने सदस्यों को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। जिसके तहत वह सांसदों को सदन से निलंबन कर सकती है या सांसदों को जेल की सजा भी हो सकती है।
- इस संदर्भ में क्या भारत के उच्चतम न्यायालय की कोई भूमिका है या नहीं। भारत के उच्चतम न्यायालय को यह ही तय करना था। **अतः भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि –**

1. उच्चतम न्यायालय और भारत की संसद दोनों समानांतर रूप से कानून निर्माताओं के कार्यों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
2. रिश्वतखोरी का मुद्दा सदन द्वारा अपने रिश्वत लेने वाले सदस्यों पर अधिकार क्षेत्र की विशिष्टता का नहीं है।
3. रिश्वत लेने के लिए किसी सदस्य द्वारा की गई अवमानना के खिलाफ कार्रवाई करने वाले सदन का उद्देश्य आपराधिक अभियोजन से अलग उद्देश्य पूरा करता है।
4. ऐसा इसलिए है कि सदन द्वारा दंड देने का उद्देश्य आपराधिक मुकदमे के उद्देश्य से भिन्न होता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. सांसद या विधायक सदन के अन्दर किसी भी प्रकाशन, रिपोर्ट, पेपर, वोट या कार्यवाही के संबंध में भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह के कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होता है।
2. भारत में संसदीय विशेषाधिकार के मुख्य रूप से चार घटक होते हैं।
3. भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का संबंध ' लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध ' से है।
4. भारत के जन प्रतिनिधियों को एक कानून निर्माता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए रिश्वत और उपहार लेना गलत नहीं है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन असत्य है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) इनमें से कोई नहीं।

(D) इनमें से सभी।

उत्तर – (B)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में जन प्रतिनिधि द्वारा रिश्वतखोरी किस तरह भारत के लोकतांत्रिक चरित्र, एकता, अखंडता और जन प्रतिनिधित्व विशेषाधिकारों के विरोधाभाषी है ? तर्कसंगत चर्चा कीजिए।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए)

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था , गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019, गृह मंत्रालय , आतंकवादी कृत्य , एनआईए, मानवाधिकार , मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 5 मार्च 2024 को बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा को कथित माओवादी संगठन से संबंध रखने के मामले में बरी कर दिया है और उन पर लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया है।

- बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया है।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने यह कहते हुए कहा कि – " वह उन सभी आरोपियों को बरी कर रही है क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ उचित संदेह के आधार पर मामला साबित करने में विफल रहा है।"
- इस खंडपीठ ने कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत आरोपियों पर आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्राप्त मंजूरी को भी "अमान्य और शून्य" माना।
- अभियोजन पक्ष ने बॉम्बे उच्च न्यायालय से अपने आदेश पर रोक लगाने की मांग नहीं की, लेकिन उसने कहा कि वह तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है।
- 14 अक्टूबर, 2022 को, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने साईबाबा को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि – **" यूएपीए के तहत वैध मंजूरी के अभाव में मुकदमे की कार्यवाही शून्य थी।"**
- महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिन बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस फैसले को चुनौती देते हुए भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील दायर किया था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने शुरू में आदेश पर ही रोक लगा दिया था किन्तु अप्रैल 2023 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और प्रोफेसर साईबाबा द्वारा दायर अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश दिया था ।
- प्रोफेसर साईबाबा को 2014 में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने प्रोफेसर साईबाबा सहित अन्य पांच लोगों सहित छहों को दोषी ठहराया था और उनमें से पांच को उम्रकैद और एक को 10 साल की सजा सुनायी थी।
- प्रोफेसर साईबाबा जो अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण व्हीलचेयर पर रह रहे थे, उनको वर्ष 2014 से ही इस में मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही नागपुर सेंट्रल जेल में बंद रखा गया है।
- महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की एक सत्र अदालत ने वर्ष 2017 में, कथित माओवादी संबंधों और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रोफेसर साईबाबा, एक पत्रकार और अन्य लोगों को दोषी भी ठहराया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें यूएपीए कानून और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 का परिचय एवं उद्देश्य :

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था।

यह अधिनियम व्यक्ति/ व्यक्तियों या संगठनों द्वारा की गई निम्नलिखित कार्रवाई को गैर-कानूनी गतिविधि के रूप में परिभाषित करता है –

- **किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाने वाला ऐसी कोई भी कार्रवाई, जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग पर अधिकार या नियंत्रण स्थापित करती हो।**
- **किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जाने वाला ऐसी कोई भी कार्रवाई, जो भारत की संप्रभुता को खंडित या भारत की अखंडता और एकता के लिए खतरा पैदा करती हो।**
- इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी भी दोषी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकती है
- इस अधिनियम में DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है।
- गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 2019 के तहत परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) को सूची में जोड़ा गया है।

गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1967 से संबंधित मुद्दे :

- इसके अंतर्गत गिरफ़्तारी की अवधि बढ़ा दी जाती है, जो आगे भी बढ़ती जाती है। इसके पहले सामान्य ज़मानत नहीं दी जा सकती है। साथ ही, नियमित ज़मानत भी न्यायाधीश की संतुष्टि के अधीन ही होती है।
- ज़मानत के अतिरिक्त यह प्रक्रिया पूर्व-परीक्षण, जघन्य आतंक अपराधों के दोषी माने जाने वाले अभियुक्तों के लिये लंबी अवधि की सुनवाई तथा कैद की लंबी अवधि को भी सुनिश्चित करती है।

भारत में गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध :

- भारत के संविधान में (16वां संशोधन) संशोधन के तहत, 1963, में भारत की संप्रभुता और अखंडता की

सुरक्षा के लिए भारतीय संसद ने को गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान किया है।.**व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबंध लगाया जा सकता है –**

1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
2. शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना एकत्र होने का अधिकार।
3. संघ या संगठन बनाने का अधिकार।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत अभी तक की गई गिरफ्तारियां :

1. बिनायक सेन, एक डॉक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उन्हें 2007 में कथित रूप से अवैध नक्सलियों का समर्थन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।
2. सुधीर धवाले, दलित अधिकार कार्यकर्ता, 2018 में गिरफ्तार।
3. महेश राउत, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता 2018 में गिरफ्तार ।
4. वरवारा राव, कवि, 2018 में गिरफ्तार।
5. सुरेंद्र गडलिंग, दलित और आदिवासी अधिकार वकील, 2018 में गिरफ्तार।
6. शोमा सेन, प्रोफेसर, 2018 में गिरफ्तार।
7. सुधा भारद्वाज, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, 2018 में गिरफ्तार।
8. रोना विल्सन, अनुसंधान विद्वान, 2018 में गिरफ्तार।
9. गौतम नवलखा, पत्रकार और पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) के सदस्य, 2018 में गिरफ्तार।

गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में संशोधन :

- भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न केवल एनआईए अधिनियम 2008 में संशोधन किया है, बल्कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में भी संशोधन किया है।.लोकसभा ने एनआईए संशोधन अधिनियम, 2019 को 15 जुलाई, 2019 को पारित किया और राज्यसभा ने इसे 17 जुलाई 2019 को पारित किया था।
- गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम की अनुसूची 4 में संशोधन कर एनआईए को अब यह अधिकार दिया गया है कि वह एक व्यक्ति को केवल आतंकी या आतंकियों से संबंध रखने की आशंका में गिरफ्तार कर सकता है।
- वर्तमान में केवल संगठनों को 'आतंकवादी संगठन' के रूप में नामित किया गया है, लेकिन UAPA, 1967 में हुए संशोधन के तहत अब एक **' व्यक्ति' को संदिग्ध आतंकवादी '** भी कहा जा सकता है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019

- **संबंधित मंत्रालय: – भारत का गृह मंत्रालय।**

- लोकसभा में 08 जुलाई, 2019 को यह विधेयक पेश किया गया और लोकसभा में यह 24 जुलाई, 2019 को पारित या पास हो गया। राज्य सभा में यह विधेयक 02 अगस्त 2019 को पारित या पास हो गया।

- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक गै-रकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित संशोधन करता है। **इस एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। अगर वह –**

1. कोई व्यक्ति यदि आतंकवाद को बढ़ावा देता है।
2. **अन्यथा वह आतंकवादी गतिविधि में शामिल है।**
3. **वह आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता है।**
4. **वह व्यक्ति आतंकवादी कार्रवाई करता है या उसमें भाग लेता है।**

- यह विधेयक, सरकार को यह अधिकार देता है कि वह समान आधार पर किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है।

- यह अधिनियम, भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से के कब्जे या संघ से भारत के क्षेत्र के एक हिस्से के अलगाव को भी प्रतिबंधित करता है. अर्थात यदि कोई व्यक्ति या संगठन या व्यक्तियों का समूह, भारत के किसी हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करता है या उसको भारत से अलग करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाही इसी एक्ट के प्रावधान के तहत की जाएगी। जैसे – **सिखों द्वारा 'खालिस्तान' की मांग और मुसलमानों द्वारा 'सिमी' नामक संगठन का गठन।**

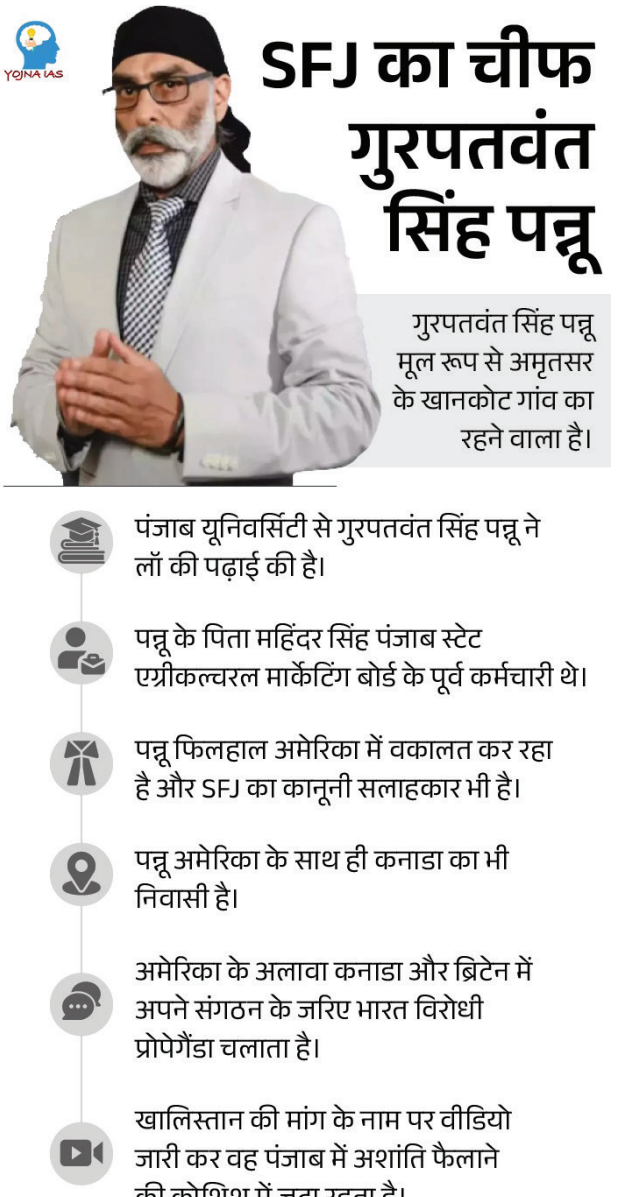

- **एनआईए द्वारा संपत्ति जब्त करने की मंजूरी :** इस अधिनियम के तहत, एक जांच अधिकारी को आतंक-वाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। विधेयक में कहा गया है कि यदि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के किसी अधिकारी द्वारा की जाती है, तो ऐसी संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

- **एनआईए द्वारा जांच :** इस अधिनियम के द्वारा उक्त मामलों की जांच उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। विधेयक अतिरिक्त रूप से एनआईए के इंस्पे-क्टर या उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को मामलों की जांच करने का अधिकार देता है।

- **संधियों की अनुसूची में सम्मिलन :** यह अधिनियम आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है ताकि अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी संधि के दायरे में किए गए कृत्यों को शामिल किया जा सके। अनुसूची में नौ संधियों को सूचीबद्ध किया गया है। जिनमें आतंकवादी बम विस्फोटों के दमन के लिए कन्वेंशन (1997), और बंधकों को लेने के खिलाफ कन्वेंशन (1979) शामिल हैं। विधेयक सूची में एक और संधि जोड़ता है। यह परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (2005) है।
- गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन बिल, 2019 व्यक्तियों और संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवादी गतिविधियों और अन्य संबंधित मामलों से निपटने के लिए इस कानून को और अधिक प्रभावी और सक्षम बनाता है।

भारत में गैरकानूनी गतिविधि की परिभाषा :

- गैरकानूनी गतिविधि में "व्यक्ति या संघ द्वारा किये गए निम्न कार्यों/गतिविधियों को शामिल किया गया है। जैसे – शब्दों के द्वारा, लिखित, कार्यों के द्वारा, संकेतों द्वारा, भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने या तोड़ने का कोई भी प्रयास.किया जाना ।
- गैरकानूनी गतिविधि" का तात्पर्य व्यक्ति या संघ द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई से है । चाहे कोई कार्य करके या शब्दों के द्वारा, बोले गए या लिखित रूप से, या संकेतों के माध्यम से सवाल करना, खंडन करना, बाधित करना या भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने का इरादा हो।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 का विस्तार और अनुप्रयोग :

1. यह कानून पूरे देश में लागू है।
2. UAPA के तहत आरोपित कोई भी भारतीय या विदेशी नागरिक इस अधिनियम के तहत सजा के लिए उत्तरदायी है, भले ही अपराध किसी भी जगह पर किया गया हो.।
3. इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिकों पर भी लागू होते हैं।
4. यदि कोई पानी का जहाज और एयरक्राफ्ट भारत में पंजीकृत है, तो उस पर सवार व्यक्ति किसी भी देश में हो, उन पर यह कानून लागू होता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

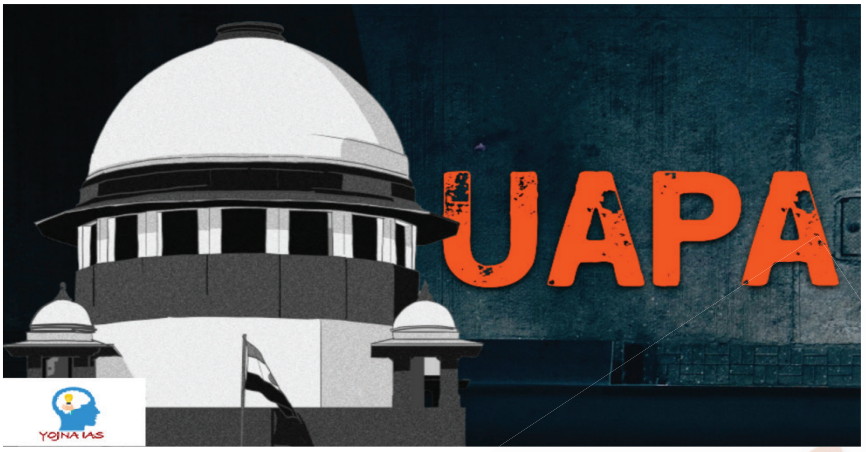

1. इस अधिनियम के लिखित उपर्युक्त प्रावधानों से यह पता चलता है कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 पहले से ही एक बहुत ही सख्त/ कठोर कानून था लेकिन गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 द्वारा हाल ही में हुए बदलावों ने इस कानून को और भी सख्त/ कठोर बना दिया है।

2. इन हालिया बदलावों के आधार पर विपक्षी दलों के नेता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार इस कानून का अपने हितों की पूर्ति के लिए और विपक्षी राजनीतिक दलों को डराने के लिए इसका दुरुपयोग भी कर सकती है जैसा कि हमने आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA) के मामले में देखा था।

3. इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार इस कानून का प्रयोग अपने विरोधी लोगों और संस्थाओं की आवाज को दबाने के लिए कर सकती है. चूंकि इसमें संसद को मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है इसलिए यह मामला बहुत संजीदा हो जाता है।

4. अतः सरकार को इस मसले पर सूझबूझ से काम लेना होगा ताकि देश की एकता और अखंडता को बनाये रखते हुए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी की जा सके।

5. बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा और पांच अन्य को माओवादियों के साथ संबंध रखने के आरोप से मुक्त किया जाना, किसी व्यक्ति के अतिवादी समूहों के साथ सिर्फ संभावित जुड़ाव या हमदर्दी के आधार पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम,जैसे कड़े कानून थोप देने के प्रचलन को भी दिखाता है। अतः इस अधिनियम का उपयोग बड़े ही सूझबूझ और निष्पक्षता से करना होगा , ताकि किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेने से उस व्यक्ति को भारत के संविधान द्वारा प्रदत मौलिक अधिकार का हनन और अतिक्रमण न हो।

6. भारत में केंद्र सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम होगा।

7. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 द्वारा इस तथ्य को भी सुनिश्चित किया जाए कि इसका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अपने विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए या विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को डराने या गलत तरीके से फंसाने के लिए इसका दुरूपयोग नहीं किया जाए । तभी इस गैरकानूनी गति-विधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 में निहित उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जा सकता है और इस संशोधन विधेयक की वर्तमान प्रासंगिकता भी बनी रह सकती है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह कानून केन्द्रशासित राज्यों / प्रदेशों में ही लागू होता है।
2. इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों पर लागू होते हैं।
3. यह विधेयक, सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर सकती है।
4. इस अधिनियम के तहत, एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 1, 2 और 3

(D) केवल 2, 3 और 4

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक 2019 का दुरूपयोग किस प्रकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन या अतिक्रमण करता है ? तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत कीजिए।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ सफारी पर प्रतिबंध बनाम राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना

स्त्रोत – द हिन्दू एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – पर्यावरण एवं पारिस्थिकी तंत्र, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, 'बफर और फ्रिंज जोन', केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, र्यावरण संरक्षण के उपाय , कुनो

नेशनल पार्क, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 6 मार्च 2024 को दिए गए अपने एक निर्णय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगभग 6,000 पेड़ों की कटाई के मामले में उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुसार – **" उतराखंड के वन अधिकारियों और उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री रावत ने मिलकर पार्क परिसर में 'टाइगर सफारी' के दायरे को व्यापक रूप से विस्तारित करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी कार्यप्रणालियों का मखौल उड़ाया है।"**
- भारत के उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने अपने फैसले में कहा कि – **" जंगलों में बाघों की मौजूदगी पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की तंदुरुस्ती का एक संकेतक है। जब तक बाघों की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए जाते, बाघों के इर्द-गिर्द घूमने वाले पा-रिस्थितिकी तंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती है जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण और पेड़ों की अवैध कटाई जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। "**
- भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने पार्क के आसपास के विभिन्न रिसॉर्टों का भी जिक्र किया जहां अक्सर तेज संगीत बजाया जाता है और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में रहने वाले जानवरों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
- भारत के शीर्ष न्यायालय के इस फैसले का असर वन्यजीव पार्कों के **'बफर और फ्रिंज जोन'** में 'टाइगर सफारी' की व्यवस्था पर्यावरण के संरक्षण के उपायों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है या नहीं, के संदर्भ में वन्यजीव पार्कों के प्रबंधन की जरूरत पर भी असर करेगा।
- भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, दोनों ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्रा-लय से संबद्ध विशेषज्ञ निकाय हैं और इन्हें जंगली जानवरों के संरक्षण एवं सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई है।
- हाल ही में भारत में अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों को लाने का मुख्य उद्देश्य भी भारत में चीतों की मौजूदगी को पुनर्जीवित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने फैसले में कहा कि – वन्यजीव सफारी जंगल के मुख्य क्षेत्रों से दूर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और इस प्रकार जंगल की अक्षुण्ण प्रकृति को बढ़ावा देती है और इसके साथ – ही – साथ यह पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ाती है। इसका व्यापक उद्देश्य इको-पर्यटन होना चाहिए, न कि व्यावसायिक पर्यटन होना चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय ने जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण, पेड़ों की कटाई पर उत्तराखंड सरकार से तीन महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। भारत के शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना संरक्षित इलाकों से परे वन्यजीव संरक्षण की जरूरत को पहचानती है।
- याचिकाकर्ता गौरव बंसल ने चिड़ियाघर से बाघ लाकर सफारी के नाम पर उन्हें बफर जोन में रखने और कॉर्बेट पार्क में हुए अवैध निर्माण कार्य को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.।
- वर्ष 2021 में उत्तराखंड के वन मंत्री रावत के रहते हुए कालागढ़ रेंज में पेड़ों की कटाई शुरू हुई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इससे पहले टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण के मामले में रावत और चंद के आवासों पर छापेमारी की थी।

- इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रावत पर तल्ख टिप्पणी की और जिम कार्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का परिचय :

- यह सन 936 में स्थापित, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है।
- इसका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है।जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- हिमालय की तलहटी में, लोकप्रिय हिल-स्टेशन नैनीताल के पास स्थित, खूबसूरत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बड़ी संख्या में बाघों का घर होने के लिए प्रसिद्ध है, जो किसी भी भारतीय राष्ट्रीय पार्क में सबसे अधिक क्षेत्र-फल में फैला हुआ है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान 1318.54 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जिसमें से 520 वर्ग किमी मुख्य क्षेत्र है, और इसका शेष भाग बफर जोन है।
- यह राष्ट्रीय उद्यान पौरी गढ़वाल, अल्मोडा और नैनीताल के सुरम्य क्षेत्र में फैला हुआ है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान पार्क के अंदर रात्रि विश्राम के लिए आवास भी उपलब्ध हैं।
- यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है।
- प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में कॉर्बेट नेशनल पार्क (भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान) में शुरू किया गया था, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है।
- भारत में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी।
- मुख्य क्षेत्र कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बनाता है जबकि बफर में आरक्षित वनों के साथ-साथ सोनानदी वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है।
- इस राष्ट्रीय उद्यान का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और शिवालिक और बाहरी हिमालय भूवैज्ञानिक भागो में स्थित है।
- इस रिजर्व से बहने वाली प्रमुख नदियाँ रामगंगा, सोननदी, मंडल, पलैन और कोसी हैं।
- यह 500 वर्ग किलोमीटर में फैला , सीटीआर 230 बाघों का घर है और यहां 14 बाघ प्रति सौ वर्ग किलोमीटर पर दुनिया का सबसे अधिक बाघ घनत्व है।

कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाली वनस्पति :

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार – इस कॉर्बेट में पौधों की 600 प्रजातियाँ पाई जाती हैं – पेड़, झाड़ियाँ, फर्न, घास, पर्वतारोही, जड़ी-बूटियाँ और बांस। साल, खैर और सिस्सू कॉर्बेट में पाए जाने वाले सबसे अधिक दिखाई देने वाले पेड़ हैं। यहां घने नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं।

कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाला जीव – जंतु :

- इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के अलावा तेंदुए भी पाए जाते हैं। अन्य स्तनधारी जैसे जंगली बिल्लियाँ, भौंकने

वाले हिरण, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरण, स्लॉथ आदि भी वहाँ पाए जाते हैं।

उत्तराखंड में अवस्थित अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र :

भारत के उत्तराखंड राज्य में कुछ अन्य प्रमुख संरक्षित क्षेत्र भी है। जो निम्नलिखित है –

1. नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
2. फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान।
3. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान।
4. गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
5. गोविंद राष्ट्रीय उद्यान।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एक साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड :

- भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय है। यह मुख्य रूप से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने और वन्यजीवों और वनों के विकास के लिए जिम्मेदार है ।
- यह भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (डब्ल्यूएलपीए) की धारा 5A के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारत में संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आदि) में और उसके आसपास परियोजनाओं (सरकारी परियोजनाओं सहित) को मंजूरी देता है।
- यह भारत में केवल एक सलाहकार बोर्ड है और देश में वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है।
- भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के तहत किया गया था।
- इसका गठन भारतीय वन्यजीव बोर्ड के स्थान पर किया गया है , जिसका गठन भारत में सन 1952 में एक सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था।

भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड :

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में एक अध्यक्ष और 47 सदस्य होते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष भारत के पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय वन्य-जीव बोर्ड के अनुसार, भारत में जब भी कोई नई सरकार बनती है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के रूप में एक नयाराष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड गठित करना पड़ता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के कार्य :

भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का कार्य निम्नलिखित होता है –

1. वन्यजीव संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देना।
2. वन्य जीवों का संवर्धन एवं विकास एवं उनका संरक्षण करना ।
3. राष्ट्रीय उद्यानों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देना या आरक्षित करना।
4. भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना किसी भी संरक्षित क्षेत्रों की सीमाओं में कोई बदलाव संभव नहीं होता है।

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति :

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अपने विवेक के आधार पर एक स्थायी समिति का गठन कर सकता है। समिति के उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होंगे और इसमें कम से कम दस सदस्य होंगे जिन्हें मंत्री बोर्ड के सदस्यों में से नामित करेंगे।
- स्थायी समिति और बोर्ड के बीच अंतर यह है कि जहां स्थायी समिति का कार्य संरक्षित क्षेत्रों और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों के भीतर भूमि परिवर्तन को विनियमित करना है, जिससे यह पूरी तरह से परियोजना मंजूरी निकाय बन जाता है, वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पास यह शक्ति है कि वह वन्य जीवों के लिए नीति – निर्धारण करने का कार्य करता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- वर्ष 2020 के अप्रैल महीने में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में 16 परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ गलियारों के माध्यम से राजमार्गों, ट्रांसमिशन लाइनों और रेलवे लाइनों से संबंधित था ।
- इसने पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 3000 एकड़ भूमि को घेरनेवाली कई अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है ।
- भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का पिछले 6 वर्षों से कोई बैठक नहीं हुआ है।
- भारत में कई परियोजनाओं को मंजूरी देने वाली स्थायी समिति के कामकाज की आलोचना होती रही है.
- भारत के कई पर्यावरणविदों की यह राय है कि ये सभी स्वीकृतियाँ केवल आर्थिक लाभों को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं,न कि उनके कारण होने वाले दीर्घकालिक पर्यावरणीय खतरों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है ।
- भारत में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अपने जनादेश को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहा है, बल्कि स्थायी समिति के माध्यम से, केवल उन परियोजनाओं को मंजूरी देने में लगा हुआ है जो वास्तव में पर्यावरण/वन्यजीव को लाभ के बजाय अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड समिति ने वन्यजीवों पर अपने हालिया निर्णयों के दुष्प्रभावों पर कोई विचार नहीं किया है ।

- इस समिति में कोई स्वतंत्र पर्यावरणविद् और संरक्षणवादी नहीं हैं, जिससे समिति के लिए संबंधित लोगों की वास्तविक आपत्ति के बिना परियोजनाओं को मंजूरी देना आसान हो जाता है।
- भारत के वन्यजीव कार्यकर्ता इस बात से चिंतित हैं कि बोर्ड की अनुपस्थिति में नीति स्तर के प्रस्तावों को कैसे संभाला जा रहा है।
- मंत्रालय के अधिकारियों का तर्क है कि स्थायी समिति और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के बीच बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि समिति के सदस्यों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से ही लिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कम सदस्यों वाली कोई भी समिति बोर्ड के जनादेश को कमजोर कर सकती है ।

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना और भारतीय स्टेट बैंक

स्त्रोत – द हिन्द एवं पीआईबी।

सामान्य अध्ययन – भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, चुनावी बॉण्ड योजना, राजनीतिक दल, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनाव प्रक्रिया पर चुनावी बॉण्ड का प्रभाव, चुनावी पारदर्शिता और जवाबदेही, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे।

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 15 फरवरी, 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चलाई जा रही चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उसे रद्द कर दिया था ।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय के अनेक कारण हैं, जो न केवल भारत के राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आम भारतीय नागरिकों के लिए भी चुनावी पारदर्शिता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारतीय स्टेट बैंक की प्रतिक्रिया :

- भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा चुनावी बांड योजना के संदर्भ में दिए गए हालिया निरनय में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 मार्च 2024 तक, चुनावी बांड को खरीदने के ब्योरे, जिसमें खरीद की तारीख और मूल्यवर्ग (डिनॉमिनेशन) दोनों ही शामिल था के अतिरिक्त बॉन्ड प्राप्त करने वाले भारतीय राजनीतिक दलों का ब्योरा भी भारत के उच्चतम न्यायालय को उपलब्ध कराना था। एसबीआई को ऐसा करने के लिए कहे जाने के पीछे भारत की चुनाव प्रणाली में राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना था।
- भारत के उच्चतम न्यायालय को दिए गए अपने जवाब में, एसबीआई ने डेटा जारी करने के लिए, अपने एक अधिकारी के जरिए, जून 2024 के अंत तक का समय मांगा है, जो भारत में लोकसभा के आम चुनाव 2024 की प्रत्याशित तारीख के काफी बाद का समय है।
- भारतीय स्टेट बैंक ने अपने जवाब में चुनावी बांड को खरीदने में होने वाली कठिनाईयों का सामना करते हुए

बताया कि वह अपने अधिकारी के माध्यम से डेटा जारी करने के लिए अगले तीन महीनों में मांग कर रही है।

- भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले भारतीय राजनीतिक दलों के ब्योरे की प्रक्रिया को सुधारने के लिए भी कदम उठाने की बात की है।

डेटा की गोपनीयता और प्रक्रिया :

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया से सिर्फ चुनावी बॉन्ड की खरीद और उसे जारी किए जाने से जुड़ी सूचना को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जिससे दानदाताओं और राजनीतिक दलों के रूप में प्राप्तकर्ता व्यक्ति या दलों के बीच के संबंधों का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

भारत में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दान का विवरण :

- भारत में हुए हालिया आम चुनावों में होने वाले खर्चों के संदर्भ में भारत में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किए गए दानों का वर्तमान डेटा यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कुल 57% धन प्राप्त किया था, जबकि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान तकरीबन 10% हिस्सा ही चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किया था।

सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण :

- 15 फरवरी, 2024 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द करते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था कि – **" यह भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत सूचना के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।"**

चुनावी बॉन्ड योजना का परिचय :

भारत में चुनावी बॉन्ड योजना विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव में धन प्राप्ति या चंदा के रूप में फंडिंग करने का एक तरीका है। चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

- भारत में वर्ष 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में चुनावी बॉन्ड योजना पेश की गई थी।
- 14 सितंबर, 2017 को 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) नामक एनजीओ ने मुख्य याचिकाकर्ता के रूप में इस योजना के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में चुनौती पेश किया।
- 03 अक्टूबर, 2017 को उच्चतम न्यायालय ने उस एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
- 2 जनवरी, 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को भारत में अधिसूचित किया।
- 7 नवंबर, 2022को चुनावी बॉन्ड योजना में एक वर्ष में बिक्री के दिनों को 70 से बढ़ाकर 85 करने के लिए संशोधन किया गया, जहां कोई भी विधानसभा चुनाव निर्धारित हो सकता है।
- 6 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय के बेंच ने इस योजना के खिलाफ याचिकाओं को पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा।

- 31 अक्टूबर, 2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने योजना के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
- 2 नवंबर, 2023 को उच्चतम न्यायालय ने इस योजना में अपना फैसला सुरक्षित रखा।
- भारत में चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता से संबंधित मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच – न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी 2024 को इसे रद्द करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।

चुनावी बॉन्ड योजना का इतिहास :

- भारत में सन् 2008 में अधिसूचित की गयी इस योजना ने गुप्त रूप से राजनीतिक दलों को चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए चंदा के रूप में दिए जाने वाले धन की राह को सुगम बनाया था, लेकिन शुरुआत में यह भारत में केवल एक समयबद्ध योजना के रूप में थी जो वर्तमान समय में अब बेहद अप्रासंगिक हो गई है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय इसे अब उत्तरदाताओं के सामने की वर्तमान स्थिति को स्थापित करने का प्रयास करता है।

चुनावी बॉण्ड योजना की पृष्ठभूमि :

- भारत में चुनावी बॉण्ड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से संसद में पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू भी कर दिया गया था।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दानदाताओं की नाम को गुप्त रखते हुए या सार्वजानिक किए बिना पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक साधन के रूप में कार्य करते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड ब्याज मुक्त होता है और धारक द्वारा मांगे जाने पर देय होता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड खरीदने के राजनीतिक दलों की पात्रता :

- **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत भारत में केवल वही पंजीकृत राजनीतिक दल ही, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम – से – कम 1% वोट हासिल किया हो, वही इस चुनावी बॉण्ड को खरीदने के लिए पात्र होते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं।
- भारत में चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है।

भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक :

- भारत में चुनावी बॉण्ड के लिए अधिकृत जारीकर्त्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक है।
- भारत में चुनावी बॉण्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं।

घोर पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज़्म) को बढ़ावा देने का समर्थक होना :

- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना राजनीतिक रूप से प्राप्त चंदे पर पूर्व में मौजूद सभी सीमाओं को हटा देती

है और प्रभावी संसाधन वाले निगमों को चुनावों को वित्तपोषित करने की अनुमति देती है। परिणामस्वरूप क्रोनी कैपिटलिज़्म का मार्ग प्रशस्त होता है।

- घोर पूंजीवाद/ साठगांठ वाला पूंजीवाद / क्रोनी कैपिटलिज़्म में व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ, पारस्परिक रूप से लाभप्रद और साठगांठ वाला पूंजीवादीआर्थिक प्रणाली है। जिससे भारत के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :

- भारत के उच्चतम न्यायालय को भी एसबीआई के द्वारा दिए गए जवाब के लिए उसके खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को और अधिक लगन से काम करने और चुनावी बॉन्ड योजना संबंधी सूचना को भारत में वर्ष 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव से काफी पहले उपलब्ध कराने के लिए बाध्य करना चाहिए।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस समयबद्ध निर्णय से यह साफ है कि भारत में निष्पक्ष , न्यायसंगत और लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले चुनाव संपन्न होने के लिए वर्तमान चुनावी बॉन्ड योजना में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए ही सर्वसम्मति से रद्द कर दिया है।
- भारतीय स्टेट बैंक को भी चुनावी बॉण्ड प्रणाली के प्रति पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने और इसमें सुधार करने के साथ – ही – साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उचित अनुपालन करने का मौका मिला है। अतः भारतीय स्टेट बैंक को भी चुनावी बॉण्ड प्रणाली के प्रति अब गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है ताकि भारत में चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय को सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत में होने वाले चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार को भी अब गंभीरता से इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय को लागू करने करने की अत्यंत जरूरत है ।
- भारत में राजनीतिक दलों के लिए चंदा प्राप्त करने के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष स्पष्टीकरण संबंधी सख्त नियम लागू होना चाहिए और भारत निर्वाचन आयोग को किसी भी प्रकार के दान की जाँच करने तथा चुनावी बॉण्ड एवं चुनाव एवं चुनाव में व्यय होने वाले धन दोनों ही के संबंध में स्पष्टीकरण देने का सख्त प्रावधान होना चाहिए ।
- भारत में चुनावी बॉण्ड योजना से प्राप्त धन के संबंध में संभावित दुरुपयोग, दान सीमा के उल्लंघन और क्रोनी पूंजीवाद तथा काले धन के प्रवाह जैसे जोखिमों को रोकने के लिए चुनावी बॉण्ड में वर्तमान में मौजूद कमियों की पहचान करके उसका समाधान करने की अत्यंत जरूरत है।
- वर्तमान भारत की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में लोकतंत्र के प्रति उभरती चिंताओं को दूर करने, बदलते राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल ढलने और लोकतंत्र में अधिक समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक जाँच, आवधिक समीक्षा तथा सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से चुनावी बॉण्ड योजना की समयबद्ध निगरानी करने को सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है।
- भारत के लोकतंत्र और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के दुष्चक्र और लोकतांत्रिक राजनीति की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए राजनीतिक स्तर पर साहसिक सुधारों के साथ-साथ राजनीतिक वित्तपोषण के

प्रभावी विनियमन की अत्यंत आवश्यकता है।

- भारत के लोकतंत्र में संपूर्ण शासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉण्ड योजना में व्याप्त मौजूदा कानूनों की खामियों को दूर करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- भारतीय लोकतंत्र में मतदाता जागरूकता अभियानों की शुरुआत कर मौजूदा चुनावी बॉण्ड योजना में महत्त्व-पूर्ण बदलाव लाया जा सकता हैं।
- भारतीय लोकतंत्र में यदि मतदाता लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के प्रति जागरूक होकर उन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर देते हैं जो चुनावों में अधिक धन खर्च करते हैं या मतदाताओं को रिश्वत देते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र अपने मूल उद्देश्य के प्रति एक कदम आगे बढ़ जाएगा। जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लोकतंत्र के प्रति उज्जवल भविष्य के संकेत है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1.भारत में चुनावी पारदर्शिता के संदर्भ में चुनावी बॉण्ड प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. चुनावी बॉण्ड डिजिटल माध्यम अथवा चेक के माध्यम से ही खरीदे जा सकते हैं।
2. भारत में चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है।
3. चुनावी बॉण्ड का नकदीकरण केवल रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा ही किया जा सकता है।
4. भारत में चुनावी बॉण्ड योजना पर दानदाताओं को ब्याज देना पड़ता है क्योंकि यह आयकर रिटर्न के दायरें में नही आता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

(A) केवल 1 और 3

(B) केवल 2 और 4

(C) केवल 3 और 4

(D) केवल 1 और 2

उत्तर – (D)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. चर्चा कीजिए कि भारत में निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनाव प्रणाली के संदर्भ में चुनावी बॉन्ड योजना किस तरह सूचना के अधिकार का विरोधाभाषी और घोर पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है?